



**काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
चौथी वार्षिक रिपोर्ट**

2023-2024

पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय ताल , S-2/1-77, टैगोर टाउन एक्सटेंशन, पंचकोशी रोड, वाराणसी - 221002



मूल्य:

- सत्यनिष्ठा
- सहयोग/सामंजस्य
- नवाचार
- संगठनात्मक प्रधानता
- उत्कृष्टता
- जिम्मेदारी
- पारदर्शिता
- हितधारक दृष्टिकोण

उद्देश्य :-

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का ध्येय, अपने उत्पादक सदस्यों के बीच स्थायी सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, आपूर्ति किए गए दूध के प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ-साथ आवश्यक तकनीकी सेवाएं प्रदान करके, दूध उत्पादन को अनुकूलतम करना है।

दीर्घ दृष्टि :-

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, अपने मूल्यों के मार्गदर्शक सिद्धान्त पर चलते हुए उत्तर भारत के डेयरी क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल करने के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर, अपने उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, और उत्पादक सदस्यों की मुख्य पसंद बनने एवं प्रीमियम डेयरी पोषण प्रदान करते हुये, डेयरी उद्योग में नवाचार को प्रोत्साहित करेगी।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01409UP2021PTC155262

निदेशक मंडल (6 अगस्त 2024 तक)

निदेशक :

श्रीमती सरिता देवी
श्रीमती संगीता देवी
श्रीमती ममता सिंह
श्रीमती प्रतिमा देवी
श्रीमती ममता देवी
श्रीमती श्यामलता सिंह
श्रीमती मनसा कुमारी
श्रीमती अंजना सिंह

विशेषज्ञ निदेशक :

डॉ. संजय कुमार गोवानी
श्री आलोक कुमार गुप्ता

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक:

डॉ. मुकेश बेरीवाल

कंपनी सचिव

श्रीमती प्रियंका सत्यवली

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स एन.आर. एंड एसोशिएट,
चार्टर्ड अकाउंटेंट

आंतरिक लेखा परीक्षक

मेसर्स रे एंड रे
चार्टर्ड एकाउंटेंट

बैंकर्स:

इंडियन बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
भारतीय स्टेट बैंक

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट:

मेसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:

दूसरी मंजिल, एस-2/1-77, टैगोर
टाउन एक्सटेंशन, पंचकोशी रोड,
वाराणसी - 221002
ईमेल: info@kasheemilk.com
फोन: [0542-4085526](tel:0542-4085526)

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	प्रष्ठ संख्या
1	निदेशक की रिपोर्ट	5-21
2	स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट	22-30
3	वार्षिक लेखा विवरण <ul style="list-style-type: none">• 31 मार्च 2024 का तुलन पत्र• 31 मार्च 2024 के लिए लाभ हानि खाता• रोकड़ प्रवाह विवरण	31 32 33
4	लेखांकन टिप्पणियाँ (Notes To Accounts)	34-57
5	वार्षिक आम सभा का सूचना पत्र तथा अनुलग्न	58- 75
6	प्राप्ति पत्र	76
7	उपस्थिती पर्ची	77
8	प्रॉक्सि फॉर्म	78-79
9	वार्षिक आम सभा का मैप	80

निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्यों को,

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

कंपनी का गठन 11/11/2021 को एक उत्पादक कंपनी के रूप में कंपनियों अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के पांच जिलों, अर्थात् बलिया, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र के 700 गांवों को कवर करते हुए डेयरी मूल्य श्रृंखला का विकास करना है। कंपनी को इस क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है।"

वित्तीय परिणाम और कंपनी के मामलों की स्थिति।

कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन, 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए, नीचे सारांशित किया गया है:

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (लाख रुपये में)	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (लाख रुपये में)
संचालन से राजस्व	18598.12	3164.84
अन्य आय	1000.08	497.82
कुल आय	19,598.20	3662.66
कुल व्यय	18728.59	3410.36
कर पूर्व लाभ / (हानि)	869.61	252.30
कर व्यय	280.84	(1.74)
कर पश्चात शुद्ध लाभ / (हानि)	588.77	254.04

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कुल राजस्व 19598.20 (इक्कीस हजार पांच सौ अठानवे दशमलव बीस) लाख रुपये प्राप्त किया, जो पिछले वर्ष 3662.66 (तीन हजार छह सौ बासठ दशमलव छ्छट) लाख रुपये था। यह मुख्य रूप से दूध संचालन से बढ़ी हुई राजस्व आय के कारण है। परिणामस्वरूप, कंपनी ने कर के बाद 588.77 (पाँच सौ अट्ठासी दशमलव सततर) लाख रुपये का लाभ अर्जित किया, जो पिछले वर्ष 254.04 लाख रुपये था।

सीमित रिटर्न (लाभांश)

निदेशक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 319,962 (तीन लाखउनीस हज़ार नौ सौ बासठ) इक्विटी शेयरों पर प्रति इक्विटी शेयर 8/- रुपये के लाभांश को प्रस्तावित करते हुए प्रसन्नता हो रही है। इक्विटी शेयरों पर लाभांश चौथी वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") में सदस्यों की स्वीकृति के अधीन है। सदस्यों द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद, लाभांश उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम 31 मार्च 2024 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं। यदि स्वीकृत किया जाता है, तो लाभांश रुपये 25,59,696/- की नकद बहिर्वाह का परिणाम होगा।

सामान्य रिज़र्व में हस्तांतरण

सामान्य रिज़र्व वह राशि है जो भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी के सामान्य संचालन के दौरान अर्जित लाभ से अलग रखी जाती है। कंपनी के अनुच्छेद 11.10 के प्रावधानों के अनुसार, अनुच्छेद के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZI के तहत, बोर्ड वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए बैलेंस शीट में सामान्य रिज़र्व के क्रेडिट में कर पश्चात लाभ में से 588.77/- (पाच सौ अठासी दशमलव सत्तर) लाख रुपये स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करता है ।

कंपनी का संचालन

31 मार्च 2024 तक, कंपनी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के पांच जिलों, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र और बलिया के 700 गांवों में दूध पूलिंग पॉइंट (एमपीपी) स्थापित किए हैं। ये एमपीपी कंपनी को इन गांवों से विश्वसनीय रूप से दूध प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं।

कंपनी ने वर्ष के दौरान कुल 3,42,44,289.17 (तीन करोड़ बयासी लाख चवालीस हज़ार दो सौ नवासी दशमलव सत्रह) लीटर कच्चा दूध संग्रह किया, जिसमें औसत 93,563.63 (तिरानबे हज़ार पाच सौ तिरसठ दशमलव तिरसठ) लीटर प्रति दिन था। वित्तीय वर्ष के अंत तक, कंपनी के पास 24,302 (चौबीस हज़ार तीन सौ दो) सदस्य थे, जिन्होंने कंपनी के संचालन पर लगातार विश्वास बनाए रखा। यह सकारात्मक संकेत कंपनी की अद्भुत विकास यात्रा की शुरुआत को दर्शाता है, जिसमें सक्रिय सदस्यों के सहयोग और समर्थन से भविष्य में उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता है।

कंपनी ने उन 5,225 सदस्यों को, उनके कड़ी मेहनत की सराहना के लिए 1,15,90,769/- (एक करोड़ पंद्रह लाख नब्बे हज़ार सात सौ उनहतर) रुपये का अतिरिक्त खरीद मूल्य दिया, जिन्होंने अपने वार्दों को पूरा किया और व्यवसाय में नियमित रूप से योगदान दिया ।

दूध खरीद मूल्य के संदर्भ में, कंपनी अपने सदस्यों को दूध आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धी और लाभकारी दरें प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी अपनी प्रक्रियाओं को सुधारकर और लागत कम करके उत्पादकता

बढ़ाने का प्रयास करती है। कुछ उपायों में लॉजिस्टिक्स का अनुकूलन, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और प्रभावी निगरानी शामिल है।

गुणवत्ता आश्वासन

दूध दुनिया भर में कई लोगों के लिए एक मुख्य खाद्य पदार्थ है, और इसकी गुणवत्ता, उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए महत्वपूर्ण है, जो स्वाद और पोषण को प्रभावित करती है। विभिन्न कारक दूध में सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे इसके घटकों जैसे वसा और प्रोटीन और इसके स्वच्छता कारकों जैसे बैक्टीरिया, कोशिकाओं, दवाओं, और पानी की जांच करना आवश्यक हो जाता है।

इन कारकों को संबोधित करने के लिए, हम हर चरण में गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हैं। हमारे दूध शीतलन केंद्र (एमसीसी) उन्नत दूध परीक्षण सुविधाओं से सुसज्जित हैं, जिनमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक संतुलन, जल स्नान, वॉर्टेक्स शेकर्स, ओवन, बीआर मीटर, और रेफ्रिजरेटर शामिल हैं। हम गांव स्तर पर दूध उत्पादकों को साफ दूध उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित भी करते हैं। किसानों से दूध प्रसंस्करण संयंत्र (एमपीपी) और फिर थोक दूध शीतलन केंद्र (बीएमसी)/एमसीसी तक दूध एकत्र करने और भेजने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) लागू हैं। इसके अतिरिक्त, हम सहायक और क्षेत्रीय स्टाफ को उच्च गुणवत्ता वाला दूध प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं।

एमसीसी स्तर पर, दूध की 32 गुणवत्ता जाँच होती है और सख्त स्वच्छता नियमों का पालन किया जाता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाला दूध सुनिश्चित होता है। हम एमबीआरटी को बेहतर बनाकर कच्चे दूध की गुणवत्ता को लगातार सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि उपभोक्ताओं को सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद मिल सकें।

"मुख्य उपलब्धियाँ:

- 100 मिनट से अधिक का एमबीआरटी प्राप्त किया।
- स्वच्छ दूध उत्पादन के प्रति जागरूकता बढ़ाने और एमबीआरटी को बढ़ावा देने के लिए एक गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम लागू किया।
- गुणवत्ता और क्षेत्रीय कर्मचारियों को संगठन के भीतर उच्च दूध स्वच्छता और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए "खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन" प्रशिक्षण प्रदान किया।

आवश्यक नियमों जैसे एफएसएसएआई लाइसेंस, वजन और मेट्रोलॉजिकल स्टैम्पिंग आदि का सख्ती से पालन किया जाता है।

उत्पादकता वृद्धि सेवाएँ

कंपनी डेयरी पशुओं के लिए उत्पादकता वृद्धि सेवाएँ (पीईएस) में लगातार कार्य कर रही है। इनमें एमएआईटी की पहचान और प्रशिक्षण, घर पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करना, गर्भावस्था निदान, संतुलित पशु आहार और पूर्वाचल विशिष्ट मिश्रण, मास्टिटिस के लिए स्क्रीनिंग और बांझपन और स्वास्थ्य प्रबंधन शिविर और डेयरी प्रबंधन प्रशिक्षण आयोजित करना शामिल है।

पशु आहार

अपने उत्पादक सदस्यों का समर्थन और सशक्तिकरण करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, कंपनी उच्च गुणवत्ता वाला पशु आहार प्रदान करने की आवश्यक सेवा प्रदान करती है। यह पहल सदस्यों के स्वामित्व वाले पशुओं के कल्याण और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिससे दूध उत्पादन में सुधार होता है और आय में वृद्धि होती है, जिससे समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास होता है।

कंपनी "हर घर काशी" ब्रांड नाम के तहत "यूरिया मुक्त" संतुलित यौगिक पशु आहार (बीआईएस प्रकार II) प्रदान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने अपने उत्पादक सदस्यों को लगभग 3192.8 मेट्रिक टन पशु आहार उपलब्ध कराया है।

मिनरल मिश्रण

खनिज विभिन्न शारीरिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें हड्डियों की मजबूती, प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन, और प्रजनन स्वास्थ्य शामिल है। कंपनी द्वारा प्रदान किए गए खनिज मिश्रण क्षेत्र में आमतौर पर पाए जाने वाले विशिष्ट खनिज कमी को दूर करने के लिए तैयार किए गए हैं। यह अनुकूलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि पशुओं को इष्टतम स्वास्थ्य और प्रदर्शन के लिए आवश्यक खनिज प्राप्त हों।

कंपनी "हर घर काशी" ब्रांड नाम के तहत अपने सदस्य उत्पादकों को बहुत प्रतिस्पर्धी मूल्य पर वैज्ञानिक रूप से तैयार पूर्वाचल विशिष्ट चीलेटेड मिनरल मिश्रण प्रदान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने अपने उत्पादक सदस्यों को लगभग 21796 किलोग्राम मिनरल मिश्रण प्रदान किया।

चारा

कंपनी चारा विकास को बढ़ावा देकर अपने सदस्यों को पशुपालन में सक्रिय रूप से समर्थन करती है। इस पहल के माध्यम से, सदस्यों को बेहतर चारा किस्मों और स्थायी कृषि पद्धतियों तक पहुंच प्राप्त होती है, जिससे उनके पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार होता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दूध उत्पादक सदस्यों को कुल 25 एमटी बेहतर चारा बीज वितरित किया गया। राई घास (मक्खन घास) के बीज की एक नई किस्म कुल 5.2 क्विंटल वितरित की गई, जिसे सदस्यों ने उत्साहजनक प्रतिक्रिया दी और जंबो सुपर, मेगा स्वीट और न्यूट्री फीड जैसे ग्रीष्मकालीन चारा बीज की नई किस्मों भी दूध उत्पादक सदस्य को पेश की गई।

घर पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ

कृत्रिम गर्भाधान एक आधुनिक और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तकनीक है जिसमें मादा पशुओं में सावधानीपूर्वक चयनित वीर्य का परिचय शामिल होता है, जो नियंत्रित और बेहतर प्रजनन परिणाम सुनिश्चित करता है। एआई सेवाओं का उपयोग करके, सदस्य अपने पशुओं की उत्पादकता और प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं, जिससे डेयरी पशुओं में दूध उत्पादन बढ़ता है।

"कंपनी के प्रशिक्षित मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (MAITs) पूरे एआई प्रक्रिया के दौरान आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं, जिससे पशुओं के अच्छे परिणाम और स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है।"

एआई कंपनी की स्थायी पशु विकास के लिए प्रतिबद्धता का हिस्सा है। बेहतर प्रजनन प्रथाओं को बढ़ावा देकर, पहल कृषि समुदाय की समग्र वृद्धि और स्थिरता में योगदान करती है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, कंपनी ने विभिन्न पहलों के माध्यम से पशुधन प्रजनन और स्वास्थ्य में सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की:

- **कृत्रिम गर्भाधान:** उच्च आनुवंशिक योग्यता वीर्य खुराक के साथ कुल 13785 कृत्रिम गर्भाधान किए गए। इस उन्नत प्रजनन तकनीक ने सदस्यों को बेहतर आनुवंशिकी तक पहुंच प्रदान की, जिससे पशुधन उत्पादकता में सुधार हुआ।
- **प्रशिक्षण:** कंपनी ने कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की डिलीवरी को बढ़ाने के लिए 70 मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों (एमएआईटी) को प्रशिक्षित किया। इन तकनीशियनों ने प्रजनन प्रक्रिया के दौरान सदस्यों को विशेषज्ञ सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **पशु स्वास्थ्य और बांझपन प्रबंधन शिविर:** कंपनी ने 166 पशु स्वास्थ्य और बांझपन प्रबंधन शिविर आयोजित किए, जहाँ कुल 1290 पशुओं को आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की गई। इन शिविरों का उद्देश्य पशुओं के समग्र स्वास्थ्य और प्रजनन कल्याण में सुधार करना था।

निवारक पशु स्वास्थ्य पहल

- **मस्टाइटिस रोकथाम:** मस्टाइटिस, जो उत्पादकों को बड़े पैमाने पर उत्पादन और आर्थिक नुकसान पहुंचाती है, की जल्दी पहचान के लिए एक सरल और सस्ती पशु-पक्षीय परीक्षण, कैलिफोर्निया मस्टाइटिस टेस्ट (CMT) का उपयोग किया गया है। यह परीक्षण उप-क्लीनिकल मस्टाइटिस के निदान में बहुत उपयोगी है, जहाँ लक्षण आमतौर पर दिखाई नहीं देते, लेकिन आर्थिक नुकसान होता है। दूध उत्पादक क्षेत्रों में डेयरी किसानों के बीच जागरूकता भी फैलाई जा रही है।"
- **ट्राइसोडियम साइट्रेट पाउडर:** पशु स्वास्थ्य शिविर के दौरान सीएमटी परीक्षण द्वारा पता लगाए गए उप-नैदानिक मास्टिटिस को रोकने के लिए, दूध उत्पादक सदस्य को ट्राइसोडियम साइट्रेट पाउडर प्रदान किया गया। कुल 25 किलोग्राम टीएससी पाउडर सदस्यों के बीच वितरित किया गया।
- **डीवॉर्मिंग:** परजीवी संक्रमण को रोकने और पशुओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए डीवॉर्मिंग बहुत जरूरी है। शुरुआत में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान पशुधन स्वास्थ्य के समर्थन में डीवॉर्मिंग दवा की कुल 4814 स्ट्रिप्स वितरित कीं।

क्षमता निर्माण

- **डेयरी प्रबंधन प्रशिक्षण:** डेयरी प्रबंधन प्रशिक्षण सफल डेयरी के लिए एक बेहतरीन तरीका है। पशु चिकित्सकों/पीईएस अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रशिक्षण में डेयरी किसानों को डेयरी की प्रदर्शन को सुधारने,

डेयरी फार्म को प्रबंधित करने और डेयरी व्यवसाय से लाभ बढ़ाने के बारे में सिखाया जाता है। सदस्यों को स्वच्छ दूध उत्पादन, बछड़े को खाना देने का प्रबंधन, खुली आवास व्यवस्था, पानी देना, रोगों की रोकथाम और सही शेड जैसे अच्छे फार्म प्रबंधन अभ्यास भी सिखाए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान कुल 42 कार्यक्रम आयोजित किए गए और 840 डेयरी किसानों को अच्छे डेयरी प्रबंधन प्रथाओं के बारे में प्रशिक्षित किया गया।

- **साइलेज प्रदर्शन:** हरी चारा की कमी के कारण गर्मी के मौसम में दूध की गुणवत्ता और मात्रा दोनों घट जाती है। साइलेज हरी चारा का संकुचित, बिना हवा वाला किण्वित उत्पाद है, जो पूरे साल पशुओं को पोषण प्रदान करता है। सदस्यों को साइलेज बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 8 साइलेज तैयारी और प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए।"

उत्पादक संस्था निर्माण (पीआईबी)

उत्पादक संस्था निर्माण (पीआईबी) उत्पादकों द्वारा स्वामित्व और प्रबंधन किए गए संस्थानों के निर्माण और सशक्तिकरण की प्रक्रिया है। पीआईबी का उद्देश्य सदस्यों की जागरूकता, भागीदारी और सशक्तिकरण बढ़ाकर उत्पादक संस्थानों की शासन, प्रदर्शन, और स्थिरता में सुधार करना है।

पीआईबी का उद्देश्य संगठन को बेहतर प्रबंधित, अधिक कुशल और लंबे समय तक टिकाऊ बनाना है, जिससे सदस्यों का ज्ञान, भागीदारी, और शक्ति बढ़े। पीआईबी, प्रोड्यूसर कंपनी को अन्य डेयरी कंपनियों से अलग बनाता है, क्योंकि इसमें पारदर्शी और निष्पक्ष प्रबंधन सिस्टम होते हैं और सदस्यों को कंपनी की सेवाओं से मिलने वाले लाभ के आधार पर योगदान करने की आवश्यकता होती है।"

एमपीसी के मुख्य डिजाइन सिद्धांत:

- सदस्यों के साथ ही व्यापार
- सक्रिय सदस्यता और भागीदारी
- सदस्यता पूंजी के अनुसार लाभ वितरण
- संचार और शिकायत निवारण तंत्र
- पेशेवर प्रबंधन और आत्मनिर्भरता
- प्रभावी मूल्य श्रृंखला प्रबंधन
- प्रौद्योगिकी का उपयोग

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम

कंपनी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करती है जो सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये कार्यक्रम उत्पादक सदस्यों को कंपनी के हिस्से के रूप में उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझने में सक्षम बनाते हैं, डेयरी फार्मिंग प्रथाओं को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त करने में मदद करते हैं, गुणवत्ता इनपुट और बाजारों की पहुंच के माध्यम से अपनी आय और प्रदर्शन को बढ़ाते हैं, और अपने

उद्यम को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए अपनी शासन और प्रबंधन क्षमताओं को विकसित करते हैं।

सदस्यों और नए उत्पादक सदस्यों को शामिल करने के लिए संभावित सदस्यों को कवर करने वाले जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, और सहायक और क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित थे:

S.N.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	कार्यक्रमों की संख्या
1.	सहायक अभिविन्यास कार्यक्रम	700
2.	निर्देशकों के कौशल निर्माण कार्यक्रम	1
3.	नेतृत्व विकास कार्यक्रम	2
4.	डेयरी प्रबंधन प्रशिक्षण	42
5.	उत्पादक जागरूकता कार्यक्रम	681
6.	महिला जागरूकता कार्यक्रम	679
7.	वीसीजी अभिविन्यास	510
8.	ग्रामीण युवा जागरूकता कार्यक्रम	10
9.	स्वच्छ दूध उत्पादन कार्यक्रम	679
10.	स्कूल बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम	10

वित्तीय वर्ष के समापन के बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान, मार्च 31, 2024 के बाद से इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई हैं। नियामकों और अदालतों द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए गए हैं जो कंपनी की निरंतरता की स्थिति और इसके भविष्य के संचालन को प्रभावित कर सकते हैं।

व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन

समीक्षित वर्ष के दौरान कंपनी के व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

शेयर पूंजी और सदस्यता

कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी अधिकृत शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया है। मार्च 31, 2024 को अधिकृत शेयर पूंजी 5 करोड़ रुपये थी। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, कंपनी की सब्सक्राइब और भुगतान की गई शेयर पूंजी 71,42,800/- (इकहतर लाख बयालीस हजार आठ सौ) रुपये थी और 31 मार्च 2024 को 3,19,96,200/- (तीन करोड़ उन्नीस लाख छियानवे हजार दो सौ) रुपये थी। वर्ष के दौरान कंपनी ने 6,447 (छह हजार चार सौ सैंतालीस) सदस्यीय शेयरों को रद्द कर दिया है।

31 मार्च 2024 के अनुसार, कंपनी के पास 24,302 सदस्य हैं। 31 मार्च 2024 के बाद, कंपनी ने आवंटित किया है:

आवेदक का प्रकार	दिनांक	शेयर आवेदक की संख्या	आवंटित शेयर की संख्या	राशि (INR)	टिप्पणी
नया	24 अप्रैल 2024	725	1442	144200	
मौजूदा	24 अप्रैल 2024	9166	49658	4965800	
नया	11 मई 2024	207	209	20900	
मौजूदा	11 मई 2024	521	853	85300	
नया	4 जुलाई 2024	758	3879	387900	यह आवंटन शेयरों के आत्मसमर्पण और सदस्यता को रद्द करने से शेयरों को फिर से जारी करने से है, इसलिए भुगतान की गई पूंजी को प्रभावित नहीं करता है।
मौजूदा	4 जुलाई 2024	816	3444	344400	
नया	6 अगस्त 2024	461	2312	231200	यह आवंटन आंशिक रूप से शेयरों के आत्मसमर्पण और सदस्यता को रद्द करने से शेयरों को फिर से जारी करने से है, इसलिए भुगतान की गई पूंजी को प्रभावित नहीं करता है।
मौजूदा	6 अगस्त 2024	1417	6933	69330	

इस रिपोर्ट तक कंपनी ने कुल 3677 सदस्यों की सदस्यता रद्द करी। इस रिपोर्ट की तारीख तक कुल सदस्य संख्या 22,776 है और कुल चुकता पूंजी रुपये तीन करोड़ पचहत्तर लाख तिरसठ हजार आठ सौ।

मताधिकार और आम सभा में उपस्थिति

कंपनी के अनुच्छेदों के अनुसार, मताधिकार प्रत्येक सदस्य के लिए एक वोट के आधार पर होगा, बशर्ते कि सदस्य ने साल में कम से कम 200 दिन दूध दिया हो और कुल मिलाकर कम से कम 500 लीटर

दूध दिया हो। कंपनी की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक (AGM) में मतदान अधिकारों के संदर्भ में, 31 मार्च 2024 को 24,302 सदस्यों में से केवल 5,225 सदस्य ही मतदान अधिकार के पात्र हैं, जबकि 19,077 सदस्य जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष (2023-2024) में कम से कम 200 दिन दूध नहीं दिया और कुल 500 लीटर दूध नहीं दिया, ने अपने मताधिकार खो दिए हैं और आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान के लिए पात्र नहीं हैं।

31 मार्च 2024 के बाद कंपनी के सदस्यों के रूप में शामिल किए गए कुल 2,151 नए सदस्य चौथी वार्षिक आम बैठक में मतदान के लिए पात्र नहीं होंगे।

इस रिपोर्ट की तारीख तक, 22,795 सदस्य कंपनी की चौथी वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति के पात्र होंगे।

निदेशक मण्डल

31/03/2024 की स्थिति के अनुसार बोर्ड की संरचना

क्र.सं	नाम	निदेशक पहचान संख्या
1	श्रीमती ममता सिंह	09395184
2	श्रीमती संगीता देवी	09687721
3	श्रीमती सरिता	09687193
4	श्रीमती ममता देवी	10180142
5	श्रीमती अंजना सिंह	10190931
6	श्रीमती मांषा कुमारी	10180237
7	श्रीमती श्यामलता सिंह	10180147
8	श्रीमती प्रीतिमा देवी	10290499
9	डॉ. मनवीर सिंह	09442343
10	डॉ. संजय कुमार मागनलाल गोवानी	08814861

बोर्ड की संरचना में परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2023-2024 में बोर्ड की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

नियुक्तियां:

- श्रीमती ममता देवी, श्रीमती मांषा कुमारी, और श्रीमती श्यामलता सिंह को 28 मई 2023 को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्रीमती अंजना सिंह को 30 मई 2023 को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- उपरोक्त सभी चार निदेशकों को 16 सितंबर 2023 को तीसरी आम सभा में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- डॉ. संजय गोवनी जी 22 जुलाई 2023 को विशेषज्ञ निदेशक क पद पर नियुक्त हुए ।
- श्रीमती प्रीतिमा देवी को 16 सितंबर 2023 को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

त्यागपत्र/सेवानिवृत्ति

- श्रीमती आराधना और श्रीमती बबीता 16 सितंबर 2023 को निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हो गईं।
- डॉ. सी. पी. देवानंद ने 1 मार्च 2024 को बोर्ड के विशेषज्ञ निदेशक के रूप में इस्तीफा दिया।
- बोर्ड डॉ. सी. पी. देवानंद, श्रीमती आराधना, और श्रीमती बबीता द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान की गई सेवाओं की सराहना करता है।

निदेशकों की जिम्मेदारी बयान

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के तहत आवश्यकतानुसार, निदेशक पुष्टि करते हैं कि:

- 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों को अनुसूची III के तहत की गई आवश्यकताओं के साथ पढ़ा गया है और इससे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं है।
- निदेशकों ने ऐसे लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर रूप से लागू किया है और उचित और विवेकपूर्ण अनुमान लगाए हैं ताकि कंपनी की स्थिति पर सच्चा और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।
- निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य असमानताओं को रोकने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।
- निदेशकों ने वार्षिक खातों को लगातार संचालन के आधार पर तैयार किया है।
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित सिस्टम तैयार किए हैं और ऐसे सिस्टम पर्याप्त और प्रभावी रूप से कार्यशील हैं।

लेखा परीक्षक

कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक, मेसर्स आर. एंड एसोसिएट्स (FRN: 312101E) चार्टर्ड अकाउंटेंट, को पहली वार्षिक सामान्य बैठक में कंपनी के छठी वार्षिक आम बैठक तक नियुक्त किया गया है, जो वर्ष 2026 में होगी। उन्होंने पुष्टि की है कि उनकी पुनर्नियुक्ति यदि की जाती है तो यह अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के भीतर होगी और वे पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं हैं। समीक्षित वर्ष के दौरान, लेखा

परीक्षक ने कंपनियों अधिनियम 2013 की धारा 143 के उपधारा (12) के तहत किसी भी धोखाधड़ी की घटना नहीं पाई।

लागत रिकॉर्ड

कंपनी द्वारा की गई व्यापार गतिविधियों के लिए लागत रिकॉर्ड रखरखाव और लागत ऑडिट की आवश्यकता जो कंपनियों अधिनियम 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के तहत निर्धारित की गई है, लागू नहीं है।

बोर्ड की टिप्पणी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संदर्भित नोट्स और वित्तीय विवरण स्वयं-व्याख्यात्मक हैं और किसी भी अतिरिक्त टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कोई अर्हता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी, या अस्वीकृति नहीं है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और ऑडिट

कंपनी के पास एक उचित और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, जो सुनिश्चित करती है कि सभी संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षण हो और लेन-देन को सही ढंग से प्राधिकृत, दर्ज, और रिपोर्ट किया जाए। खातों का आंतरिक ऑडिट नियमित रूप से बाहरी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म, एम/स. रे और रे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा किया जाता है। आंतरिक ऑडिटर्स स्वतंत्र रूप से आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता का मूल्यांकन करते हैं और ऑडिट करते हैं।

मानव संसाधन

गतिशील व्यापार परिदृश्य में, एक संगठन की सफलता उसके लोगों से गहराई से जुड़ी होती है। कर्मचारियों का उत्साह, समर्पण, जिम्मेदारी की भावना, और टीमवर्क कंपनी की निरंतर वृद्धि और सफलता में महत्वपूर्ण रहे हैं। सकारात्मक, सहायक, और नवाचारी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देकर, कंपनी ने एक अत्यधिक प्रेरित कार्यबल तैयार किया है, जो उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। कंपनी अपने कर्मचारियों को सशक्त बनाने, उनके मूल्य को पहचानने, और एक ऐसा वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां वे सफलता में योगदान दे सकें।

प्रमुख पहलें और उपलब्धियां:

- **फील्ड स्टाफ के लिए पुरस्कार और मान्यता कार्यक्रम:** FY 2023-24 में, हमने अपने फील्ड स्टाफ के लिए "पुरस्कार और मान्यता कार्यक्रम" शुरू किया। इस पहल ने संगठनात्मक मूल्यों को मजबूती से सुदृढ़ किया, कर्मचारियों को अपेक्षाओं को पार करने के लिए प्रेरित किया, और समग्र उत्पादकता और प्रदर्शन को बढ़ाया।
- **कर्मचारी स्वास्थ्य आश्वासन:** हमने सभी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए। इन शिविरों ने स्वास्थ्य मुद्दों की प्रारंभिक पहचान, उत्पादकता में सुधार, और नौकरी की संतोषजनकता को बढ़ाया।

- **प्रशिक्षण और विकास:** हमने "आपसी संचार और टीम बिल्डिंग" पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए ताकि संचार कौशल को बेहतर बनाया जा सके, सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके, और टीम की गतिशीलता को मजबूत किया जा सके। नए कर्मचारियों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित किए गए, जिसमें विभागीय प्रशिक्षण और फील्ड यात्राएं शामिल थीं, ताकि नए कर्मचारियों को कंपनी की संचालन प्रक्रियाओं और संस्कृति से अवगत कराया जा सके।
- **कर्मचारी सहभागिता गतिविधियाँ:** हमने हेड ऑफिस में "खेलें और सीखें" गतिविधि शुरू की, जहां कर्मचारियों ने विभिन्न विषयों पर अपने अनुभव और विचार साझा किए। इस पहल ने उनकी संचार क्षमताओं, मंच उपस्थिति, और नेतृत्व क्षमताओं में सुधार किया। इसके अतिरिक्त, हमने काशी प्रीमियर लीग 2024 क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया, जिसने टीम भावना और खेल भावना को बढ़ावा दिया और कार्य वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव डाला।
- **तकनीकी उन्नति:** हमने हेड ऑफिस कर्मचारियों के लिए एक इन-हाउस मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली एप्लिकेशन (HRMS) लागू किया। यह प्रणाली लागत-कुशल है, प्रभावी ढंग से उपस्थिति रिकॉर्ड बनाए रखती है, और समय बचाती है, जिससे कार्यकुशलता में सुधार होता है।

सूचना प्रौद्योगिकी

कंपनी सूचना प्रौद्योगिकी के परिवर्तनकारी प्रभाव को मानती है और इसे सभी विभागों में प्रभावी ढंग से शामिल किया है। IT विभिन्न विभागों को संचालन को अनुकूलित करने और कुल दक्षता को सुधारने में सहायता करता है। डेटा को एक मूल्यवान संपत्ति मानते हुए, कंपनी IT का उपयोग डेटा संग्रहण, विश्लेषण, और दृश्यण के लिए करती है, जिससे निर्णय लेने वालों को सटीक और समय पर जानकारी प्राप्त होती है।

संवेदनशील डेटा को संभालने के दौरान, कंपनी साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता को प्राथमिकता देती है। साइबर खतरों से सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं और ग्राहकों और स्टैकहोल्डरों के विश्वास को बनाए रखा गया है।

सदस्य ई-रजिस्ट्रेशन:

सदस्य ई-रजिस्ट्रेशन घटक किसानों को सहकारी या उत्पादक समूह में नामांकित करने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। यह प्रणाली सहकारी सेवाओं, वित्तीय सहायता, और प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक आसान पहुंच को बढ़ावा देती है, जिससे वित्तीय समावेशन और आजीविका के अवसरों में सुधार होता है।

यह सामुदायिक सदस्यता और सहयोग को बढ़ावा देती है, जो सामूहिक खरीद और विपणन पहलों के लिए महत्वपूर्ण है। कंपनी के लिए, यह घटक मूल्यवान डेटा अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, व्यक्तिगत सेवाओं के माध्यम से सदस्य संबंधों को मजबूत करता है, और डेटा प्रवाह को डिजिटाइज करके कागजी काम को कम करता है, जिससे संचालन अधिक कुशल हो जाता है।

काशी ई-डेयरी एप्लिकेशन का अपडेटेड वर्शन:

वित्तीय वर्ष 2022-23 में काशी ई-डेयरी एप्लिकेशन की शुरुआत के बाद से, हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लगातार अपडेट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि यह नवीनतम बना रहे। यह ऐप किसानों को डेयरी-संबंधित डेटा, जैसे दैनिक दूध की रिकॉर्डिंग, भुगतान की जानकारी, और व्यक्तिगत प्रोफाइल विवरण, तक विस्तृत पहुंच प्रदान करता है, पारदर्शिता को बढ़ाता है और रिकॉर्ड-कीपिंग को सरल बनाता है।

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली एप्लिकेशन (इन-हाउस डेवलपमेंट):

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित इन-हाउस मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली एप्लिकेशन सभी कर्मचारी जानकारी के लिए केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन प्रदान करता है, मानव संसाधन प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और परिचालन दक्षता को बढ़ाता है। यह डेटा एंट्री में त्रुटियों को कम करता है और उन्नत रिपोर्टिंग और विश्लेषण की अनुमति देता है। प्रणाली विनियामक अनुपालन को सुनिश्चित करती है और व्यक्तिगत जानकारी और अनुरोधों का प्रबंधन करने के लिए एक कर्मचारी आत्म-सेवा पोर्टल प्रदान करती है। अतिरिक्त लाभों में प्रदर्शन प्रबंधन उपकरण, सटीकता के लिए पेट्रोल एकीकरण, और भर्ती और इंडक्शन प्रक्रियाओं को सरल बनाना शामिल है, जो समग्र परिचालन उत्कृष्टता में योगदान करता है।

ऊर्जा संरक्षण, अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और खर्च

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत आवश्यक विवरण:

- i. ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित नियमों का भाग A और B वर्तमान में कंपनी पर लागू नहीं है।
- ii. विदेशी मुद्रा अर्जन और खर्च: अर्जन - शून्य; खर्च - शून्य।

बैठकें

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 7 बैठकें आयोजित की गईं। विवरण निम्नलिखित हैं

क्रमांक	बोर्ड बैठक की तिथि
1 st	24 मई 2023
2 nd	22 जुलाई 2023
3 rd	16 अगस्त 2023
4 th	16 सितंबर 2023
5 th	10 नवंबर 2023

6 th	8 जनवरी 2024
7 th	1 मार्च 2024

कमेटी की बैठकें

हितधारक संबंध समिति

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड ने कंपनी के स्टैकहोल्डर्स की शिकायतों को सुलझाने के लिए एक हितधारक संबंध समिति का गठन किया। इस कमेटी में शामिल हैं:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	
1.	श्रीमती सरिता देवी	अध्यक्ष
2.	श्रीमती ममता सिंह	सदस्य
3.	डॉ. मनवीर सिंह	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान, 10 नवंबर 2023 को एक बैठक आयोजित की गई। समिति को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

ऋण, गारंटी और निवेश के विवरण

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान कंपनियों अधिनियम, 2013 के अनुसार कोई ऋण, गारंटी, या निवेश नहीं दिए हैं।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्थाओं का विवरण

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पार्टियों के साथ किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्थाएँ/लेन-देन सामान्य व्यापार के अनुसार और एक्ट की प्रावधानों के अनुसार 'आर्म्स लेंथ' आधार पर किए गए। कंपनी ने प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या अन्य निर्दिष्ट व्यक्तियों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं किया, जिससे कंपनी के हितों के साथ टकराव हो सकता हो। इसके अलावा, कंपनी ने वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ कोई ऐसा अनुबंध/व्यवस्था/लेन-देन नहीं किया, जिसे महत्वपूर्ण माना जा सके या जिसे एक्ट की धारा

134(3)(h) और धारा 188 के अनुसार रिपोर्ट करने की आवश्यकता हो और कंपनियों (खाते) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार रिपोर्ट किया जाना चाहिए।"

लेखा परीक्षकों द्वारा धारा 143 की उपधारा (12) के तहत रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी का विवरण

कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (12) के तहत किसी भी धोखाधड़ी की रिपोर्ट नहीं की गई, सिवाय उन धोखाधड़ी के जो केंद्रीय सरकार को रिपोर्टेबल हैं।

जोखिम प्रबंधन नीति

जोखिम प्रबंधन एक व्यापक और गतिशील प्रक्रिया है जिसमें संभावित जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, और प्राथमिकता दी जाती है, साथ ही रणनीतिक कार्रवाइयां की जाती हैं जो उनके प्रभाव को न्यूनतम करने, निगरानी करने, या नियंत्रित करने के उद्देश्य से होती हैं। मुख्य उद्देश्य नकारात्मक घटनाओं की संभावना को कम करना और संभावित अवसरों की प्राप्ति को अधिकतम करना है। इसे प्राप्त करने के लिए, जोखिम प्रबंधन एक अच्छी तरह से परिभाषित ढांचे का उपयोग करता है जो जोखिमों पर प्रभावी प्रबंधन नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

कंपनी ने जोखिम प्रबंधन नीति विकसित की है और इसे बोर्ड द्वारा अपनाया गया है।

जमा

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान, अधिनियम की प्रावधानों के तहत जमा के विवरण या रिपोर्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस अवधि के दौरान कोई जमा नहीं किया गया था।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी के पास एक उचित और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो सुनिश्चित करती है कि सभी संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षण हो और लेन-देन को सही ढंग से प्राधिकृत, दर्ज, और रिपोर्ट किया जाए। वर्ष के दौरान, डिजाइन या संचालन में कोई रिपोर्टेबल महत्वपूर्ण कमजोरी नहीं देखी गई।

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 378ZF के तहत, एम/स. रे और रे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है जिन्होंने आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता का स्वतंत्र मूल्यांकन किया है और मूल्य के संदर्भ में अधिकांश लेन-देन का समवर्ती ऑडिट किया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत खुलासा

"कंपनी ने यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का पालन किया है और एक सुरक्षित कार्यस्थल नीति लागू की है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान, इस संबंध में कंपनी द्वारा कोई शिकायत प्राप्त नहीं की गई है।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

विजिल मैकेनिज्म

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 177 और कंपनियों (बोर्ड की बैठकें और उसके अधिकार) नियम 2013 के नियम 6 और 7 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

वार्षिक रिटर्न का वेब लिंक

<https://www.kasheemilk.com/annual-returns/>

अन्य खुलासे

- a) कोई भी कंपनी कंपनी की सहायक, संयुक्त उद्यम, या सहयोगी कंपनी नहीं बनी या समाप्त नहीं हुई है।
- b) नियामकों, न्यायालयों, या न्यायाधिकरण द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश नहीं दिए गए हैं जो कंपनी के सतत संचालन की स्थिति और भविष्य में कंपनी के कार्यों को प्रभावित करें।
- c) कंपनी पर दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है, जो कंपनी के व्यवसाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हो।"

आगे का रास्ता

- a. **सतत डेयरी प्रथाओं को बढ़ावा देना:** कंपनी छोटे किसानों के बीच सतत डेयरी प्रथाओं को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है।
- b. **पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करना:** पानी और ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए संचालन को अनुकूलित करना।
- c. **परियोजना विस्तार:** योजना बनाई गई है कि परियोजना को अतिरिक्त 300 गांवों तक विस्तारित किया जाए, जो वाराणसी और भदोही, दो अतिरिक्त जिलों को भी कवर किया जाए ।।
- d. **नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश:** उत्पादक सदस्यों के घरों के लिए बायोगैस जैसी नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों में निवेश करना।

- e. **सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रचार:** उत्पादकता बढ़ाने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए सर्वोत्तम डेयरी फार्मिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- f. **डिजिटल तकनीकों को अपनाना:** दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए उन्नत डिजिटल तकनीकों को अपनाना।
- g. **उद्योग नेतृत्व:** कंपनी को जिम्मेदार उद्योग नेता के रूप में स्थिति देना, पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए।
- h. **हरे भविष्य में योगदान:** एक अधिक स्थायी और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से हरे भविष्य में योगदान देने वाली पहलों पर ध्यान केंद्रित करना।

आभार

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के सदस्यों, व्यापार सहयोगियों, और बैंकों द्वारा वर्ष के दौरान प्रदान की गई समर्थन और योगदान के लिए अपनी सजीव धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता है।

आपके निदेशक इस अवसर का उपयोग करते हुए एनआरएलएम, यूपीएसआरएलएम, और एनडीडीबी डेयरी सेवाओं को प्रोत्साहन और लगातार समर्थन प्रदान करने के लिए अपनी सजीव धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

बोर्ड सभी कर्मचारियों और सभी संबंधित व्यक्तियों के उत्साही सहयोग, कड़ी मेहनत, और समर्पण की भी सराहना करता है, जिनके बिना कंपनी की समग्र प्रगति और वृद्धि संभव नहीं हो पाती।

तारीख: 6 अगस्त 2024

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से

स्थान: वाराणसी

ह/-

श्रीमती सरिता देवी

अध्यक्ष

DIN: 09687193

ह/-

श्रीमती अंजना सिंह

निदेशक

DIN :10190931

**स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए
वित्तीय विवरणों की ऑडिट पर रिपोर्ट**

राय

हमने काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षा करी है, जिसमें 31 मार्च, 2024 की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, और नकदी प्रवाह विवरण के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के नोट्स भी शामिल हैं। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी उचित तरीके से प्रदान करते हैं और एक सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं। कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुरूप जैसा कि संशोधित है और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च 2024, को समाप्त वर्ष के लिए लाभ, और नकदी प्रवाह।

राय के लिए आधार

हमारे अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों को (SAs) के अनुसार वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के भाग के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षणों के उत्तरदायित्व में स्पष्ट किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ हैं जो अधिनियम और नियमों के अधीन बनाये गए प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह हमारी राय के प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट शामिल है, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण एवं हमारी अंकेक्षणों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना है ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से मिथ्यकथान प्रकट होती है यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण मिथ्यकथान विवरण है, तो हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

अधिनियम की धारा 134 (6) में वर्णित विषय एवं कंपनी के निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में बताए गए मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रभाव का सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं। कंपनी लेखा (नियम) 2014 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है। इसमें कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखराखाव उचितलेखा नीतियों का चयन और उपयोग विवेकपूर्ण एवं उचित अनुमान लगाना भी शामिल है जो वित्तीय विवरण तैयार करने एवं उनका प्रस्तुतीकरण करने हेतु कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार कर उसे लागू करने तथा उसे बनाए रखना है जिससे कंपनी के वित्तीय लेखे की सही और उचित जानकारी प्रदान करें और जो धोखेबाजी तथा त्रुटि पूर्ण तथ्यात्मक गलत कथनों से मुक्त हो।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी की निरंतरता के लिए क्षमता का आंकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को बेचने या बंद करने का निर्णय नहीं ले, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक में विकल्प न हो।

लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त हैं, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। जो उचित स्थिति का प्रस्तुतीकरण है, लेकिन यह दावा नहीं है कि (SAs) के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर किसी तथ्य के गलत एवं गलतियों जो धोखाधड़ी, त्रुटि से उत्पन्न होती है, जो व्यक्तिगत अथवा सामुहिक हो सकती है, का पता लगायेगा। इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उपेक्षा की जा सकती है।

(SAs) के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और सम्पूर्ण ऑडिट के दौरान इस पेशेवर रूप को बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण भौतिक मिथ्यकथन के जोखिमों की पहचान और उनका आंकलन करना, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणाम स्वरूप होने वाली भौतिक मिथ्य कथन का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणाम स्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में मिली भगत, जल साजी, जानबूझकर गलती मिथ्यकथन, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3)1 के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण वित्तीय प्रणाली है और ऐसे नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगति और संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के जारी रखने के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाले कि क्या ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसा प्रकटीकरण अपर्याप्त है, तो अपनी राय को संशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित है। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी जारी संस्था के रूप में काम करने में रुकावट उत्पन्न कर सकती है।
- वित्तीय विवरणों की संपूर्ण प्रस्तुति, संरचना और सारांश, प्रकटीकरण सहित का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति हो सके।

प्रबंधन के प्रभारी लोगों के साथ उन लोगों के बयान भी प्रस्तुत करते हैं जिन्हें हम स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ पालन किया है जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं रिपोर्ट है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. जैसा कि भारत सरकार द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में प्रदान किया गया है, (ऑडिटर रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश"), हम आदेश के पैराग्राफ 3 में "अनुमानक ए" और 4 निर्दिष्ट मामलों पर, लागू सीमा तक, एक बयान दें।
 2. (ए) अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - ए. हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त करने में सक्षम हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
 - बी. हमारी राय में, जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाते की किताबें रखी गई हैं।
 - सी. हमारी राय में इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण खाते की किताबों के अनुरूप हैं।
 - डी. हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
 - ई. 31 मार्च, 2024 को कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मंडल के 31 मार्च, 2023 के रिकॉर्ड के आधार पर कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के संदर्भ में, एक निदेशक के रूप में, नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है।
- एफ. कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक बी" में हमारी रिपोर्ट देखें।
- जी. कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के भाग IV की धारा 378 ZG की आवश्यकता के अनुसार, हम "अनुलग्नक सी" में उस अनुभाग में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।
- (बी) कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, ऑडिट रिपोर्ट में शामिल किया जाना है ज्ञात होने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और दी गई जानकारी के अनुसार स्पष्टीकरण के अनुसार हम:
- ए) कंपनी के वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति पर 31 मार्च, 2024 तक कोई भी मुकदमा लंबित नहीं है। वित्तीय विवरण के लिए नोट संख्या 30 देखें।
 - बी) कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानि हो।
 - सी) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

- डी) (i) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थानों सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को कोई धनराशि उन्नत या उधार या निवेश नहीं की गयी है। (ऋण ली गया धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी भी प्रकार के फंड से)
- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी की ओर से या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार नहीं किया गया या निवेश किया गया ("अंतिम लाभार्थी")
 - अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान नहीं की गयी।
- (ii) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी को विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित कंपनी द्वारा, चाहे वह समझ में दर्ज की गई हो या लिखित रूप से या अन्यथा, किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।
- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टियों की ओर से या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार दे या निवेश करें ("अंतिम लाभार्थी")
 - अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करना और
- iii) ऐसी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उचित माना जाता है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उपखंड (डी) (i) और (डी) (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।
- ई) जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 30 में कहा गया है:
- (i) पिछले वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभंश, घोषित और भुगतान किया गया वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है लागू।
- (ii) निदेशक मंडल ने मार्च 31, 2024 को पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों पर भुगतान किए जाने वाले अंतिम लाभंश का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित लाभंश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभंश अधिनियम की धारा 123, जैसा लागू हो, के अनुसार है।
- एफ) (i) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच भी शामिल है, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए टैली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड करने की सुविधा है (लॉग संपादित करें) सुविधा। 1 अप्रैल 2023 से 10 अप्रैल 2023 की अवधि को छोड़कर, सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए संपादन लॉग सुविधा सक्षम की गई थी।
- (ii) कंपनी ने दूध संग्रह में मात्रा और एफएटी/एसएनएफ की रिकॉर्डिंग के लिए स्मार्ट एमपीएमएस और एमपीएमएस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है। सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड किए गए सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए इस सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा सक्षम नहीं थी।
- (iii) इसके अलावा, उस अवधि के लिए जहां ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सक्षम और संचालित किया गया था, हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई उदाहरण नहीं मिला।
- जी) कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान के अनुसार, 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत रिपोर्टिंग रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।
- (सी) अधिनियम की धारा 197(16) के तहत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामले के संबंध में: हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा चालू वर्ष के दौरान अपने निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

एन. आर. एवं एसोसिएट्स के लिए
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 एफआरएन: 312101ई

महुआ भट्टाचार्य
 पार्टनर
 सदस्यता संख्या: 508592
 UDIN: 24508592BKFPQZ8771

स्थान: दिल्ली
 तारीख: 12.08.2024

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का **अनुबंध ए**

(31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए वित्तीय विवरणों पर **काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड** के सदस्यों को सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

- (i) (ए) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अन्य अमूर्त संपत्तियों के संबंध में।
1) कंपनी ने आम तौर पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।
2) कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- (बी) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा सत्यापन के एक नियमित कार्यक्रम के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया था, जो हमारी राय में, उचित अंतराल पर सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन का प्रावधान करता है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गईं।
- (सी) कंपनी के पास फ्रीहोल्ड या लीज होल्ड भूमि और भवन की कोई अचल संपत्ति नहीं है और इसलिए सीएआरओ 2016 के खंड (i)(सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (डी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति सहित) या अमूर्त संपत्ति, या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- (ई) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाये गये नियम बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।
(ii) (ए) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, ऐसे सत्यापन की आवृत्ति उचित है, और प्रबंधन द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और कवरेज उचित थे। भौतिक स्टॉक और बुक रिकॉर्ड के बीच सत्यापन पर कोई विसंगतियां नहीं देखी गईं, जो इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या अधिक थीं।
(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से कोई ऋण नहीं लिया है।
- (iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने साल भर में किसी भी कंपनी, फर्म, LLP या किसी अन्य पक्ष को कोई निवेश नहीं किया है, ना ही कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है और न ही किसी प्रकार का ऋण (सुरक्षित या असुरक्षित) दिया है।
- iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 के तहत निर्दिष्ट कोई ऋण नहीं दिया है, या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्दिष्ट कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। इसके अलावा, कंपनी ने दिए गए ऋण और किए गए निवेश के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया।
- v) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिपोजिट स्वीकार नहीं किया है और अधिनियम की धारा 73 से 76 के अर्थ के तहत वर्ष की शुरुआत में कोई अनधियाचित डिपोजिट नहीं है। कंपनी (डिपोजिट की स्वीकृति) नियम, 2014 (संशोधित)। तदनुसार, आदेश के खंड 3(अ) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। कंपनी ने जनता से कोई डिपोजिट या राशि स्वीकार नहीं की है जिसे जना माना जाता है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(अ) लागू नहीं होता है।
- vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत इसके द्वारा निर्मित उत्पादों (और/या इसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं) के लिए लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश की धारा 3(vi) लागू नहीं होती है।
- vii) (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, माल और सेवा कर सहित अविवादित वैधानिक बकाया के संबंध में खाते की किताबों में कटौती / अर्जित राशि जीएसटी), भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया आम तौर पर उचित अधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किए जाते रहे हैं।
हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक जीएसटी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया के संबंध में उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक देय कोई भी निर्विवाद राशि बकाया नहीं थी।
(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, जीएसटी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर या अन्य वैधानिक का कोई बकाया नहीं है। जोकि विवाद के कारण कंपनी द्वारा जमा नहीं की गई है।
- viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी लेनदेन और सरेंडर या खुलासा नहीं किया है, जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वर्ष के दौरान खाते की किताबों में आय के रूप में दर्ज नहीं किया गया था।

- iv) ए) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने ऋणों या उधारों के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है। महाजन कंपनी ने किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से कोई ऋण नहीं लिया है और कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।
- v)
- बी) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की बैलेंस शीट की समग्र जांच के अनुसार, अल्पकालिक आधार पर जुटाए गए किसी भी फंड का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।
सी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है। जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(ix)(ई) लागू नहीं है।
- डी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित अपनी सहायक कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों की प्रतिज्ञा पर वर्ष के दौरान ऋण नहीं उठाया है। तदनुसार, खंड आदेश का 3(ix)(एफ) लागू नहीं है।
- ख) ए) कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(ए) लागू नहीं होता है।
बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार वर्ष, आदेश के खंड 3(x) (बी) में निर्दिष्ट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और धारा 62 की आवश्यकताएं लागू नहीं होती हैं।
- xi) ए) कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऑडिटिंग पर मानकों में उल्लिखित भौतिकता के सिद्धांतों पर विचार करते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी या कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है।
बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (12) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के तहत कोई भी रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में। ऑडिटर द्वारा केंद्र सरकार के समक्ष एडिट-4 दाखिल नहीं किया गया है।
सी) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय कंपनी को वर्ष के दौरान कोई किसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
- xii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xii) लागू नहीं होता है।
- xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लागू लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ वित्तीय विवरणों में लेनदेन, जहां लागू हो, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में, और संबंधित पक्ष लेनदेन के विवरण का खुलासा किया गया है।
- xiv) ए) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक ऑडिट प्रणाली है।
- xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान हैं कंपनी पर लागू नहीं हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- xvi) ए) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(ए) लागू नहीं है।
बी) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(बी) लागू नहीं है।
सी) कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(सी) लागू नहीं होता है।
डी) ऑडिट के दौरान हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के पास कोई सीआईसी नहीं है। तदनुसार, खंड 3(xvi)(डी) की आवश्यकताएं लागू नहीं होता हैं।
- xvii) कंपनी को वित्तीय वर्ष और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद घाटा नहीं हुआ है।
- xviii) हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xviii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।
- xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, वित्तीय संपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी, निदेशक मंडल के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर और प्रबंधन योजनाओं और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट की तारीख पर, या बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा। कंपनी जब भी उनका बकाया हो।

- xx) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(ए) और 3(xx)(बी) लागू नहीं होते हैं।
- xxi) आदेश के खंड 3(xxi) के तहत रिपोर्टिंग स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में लागू नहीं है। तदनुसार, इस रिपोर्ट में उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

एन. आर. एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 312101ई

महुआ भट्टाचार्य
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 508592
UDIN: 24508592BKFPQZ8771

स्थान: दिल्ली
तारीख: 12.08.2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ब

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (प) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

(सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकता अनुभाग पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 2 (ए) (एफ) को संदर्भित)

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के ऑडिट के साथ-साथ 31 मार्च 2024 तक काशी मिलक प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण क लिए प्रबंधन और निदेशक मंडल की जिम्मेदारियाँ

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर ("आईसीएआई") द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरण मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना शामिल था। लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल थी।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपना ऑडिट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और कंपनियों की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग मानकों के अनुसार किया। अधिनियम, 2013, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएँ निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी मौजूद जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (i) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं (ii) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं। य और (iii) कंपनी की संपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमाएँ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रणों को ओवरराइड करने की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या अनुपालन की डिग्री के कारण नीतियाँ या प्रक्रियाएँ बिगड़ सकती हैं।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय विवरणों के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, ऐसे नियंत्रण 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार कर रही है।

एन. आर. एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 312101ई

महुआ भट्टाचार्य
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 508592
UDIN: 24508592BKFPQZ8771

स्थान: दिल्ली
तारीख: 12.08.2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक सी

(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ 7 में संदर्भित 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट अनुभाग' के)

- i. वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से देय ऋण की राशि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 17 में बताई गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय विवरण के नोट नंबर 17 में बताए गए किसी भी ऋण को वसूली के लिए संदिग्ध नहीं माना जाता है।
- ii. 31 मार्च, 2024 को नकद और नकद समकक्ष को प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है और ऐसे सत्यापन पर कोई विसंगति सत्यापित नहीं की गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई निवेश प्रतिभूतियों नहीं हैं।
- iii. 31 मार्च, 2024 को संपत्तियों और देनदारियों का विवरण 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार है।
- iv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय 5 के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत हो।
- v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।
- vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई दान या सदस्यता नहीं दी है।

एन. आर. एवं एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 312101ई

महुआ भट्टाचार्जी

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 508592

UDIN: 24508592BKFPQZ8771

स्थान: दिल्ली

तारीख: 12.08.2024

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए विट्टा

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2024 तक रुपये	रुपये लाखों में 31 मार्च 2023 तक रुपये
अ समता एवं दायित्व			
1 अंशधारक कोष			
(ए) अंश पूंजी	3	319.96	71.43
(बी) संवित एवं अधिशेष	8	837.51	254.45
		1,157.47	325.88
2 आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि	42	51.42	5.01
3 स्थगित अनुदान	9	996.89	616.02
4 गैर चालू दायित्व			
(ए) दीर्घ विधि उधार		—	—
(बी) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां (NET)		—	—
(सी) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां		—	—
(डी) दीर्घकालिक अवधि प्रावधान	10	10.16	5.35
		10.16	5.35
5 चालू दायित्व			
(ए) अल्पकालीन उधार		—	—
(बी) व्यापारिक देनदारियां			
(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	11	—	38.29
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		877.07	223.79
(iii) अन्य चालू दायित्व	12	264.06	228.33
(iv) लघु अवधि प्रावधान	13	255.24	12.29
कुल		1,396.37	502.70
		3612.31	1454.96
ब संपत्तियाँ			
1 गैर चालू संपत्तियां			
(ए) संपत्ति संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति			
(i) संपत्ति संयंत्र और उपकरण	4	989.21	554.48
(ii) अमूर्त संपत्ति	5	3.03	4.74
(iii) कार्य में लगी पूंजी	6	9.26	82.50
(बी) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	14	6.74	2.97
(सी) दीर्घ अवधि ऋण एवं अग्रिम		—	—
(डी) अन्य गैर-चालू संपत्ति	15	1.26	2.70
		1,009.50	647.39
2 चालू संपत्तियां			
(ए) इन्वेंटरी	16	171.31	64.38
(बी) व्यापारिक लेनदारियां	17	1,297.01	312.12
(सी) रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य	18	894.02	424.19
(डी) अल्पकालीन ऋण और अग्रिम	19	3.23	3.20
(ई) अन्य चालू संपत्ति	20	237.24	3.69
कुल		2,602.81	807.58
		3,612.31	1454.96

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले साथ में दिए गए नोट देखें

संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
एन आर असोसिएट्स की ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
ए आर एन : 312101ई

ह./—
महुआ मट्टाचार्जी
साझेदारी
सदस्यता संख्या : 508592

दिल्ली

निदेशक मंडल के लिए उसकी ओर से

ह./—
मकेश बेरीवाल
निदेशक एवं सी ई
डी आई एन : 10697848

ह./—
सरिता देवी
निदेशक
डी आई एन : 09687193

ह./—
अंजना सिंह
निदेशक
डी आई एन : 10190931

ह./—
प्रियंका सत्यवती
कंपनी सचिव
एम संख्या : ए45196

वाराणसी
06.08.2024

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

विवरण	नोट संख्या	रुपये लाखों में	
		31 मार्च 2024 तक रुपये	31 मार्च 2023 तक रुपये
1 परिचालक से राजस्व	21	18,598.12	3164.84
2 अन्य आय	22	1,000.08	497.82
3 कुल राजस्व (1+2)		19,598.20	3,662.66
4 व्यय			
(ए) व्यापार में लगे स्टॉक की खरीद	23	16,313.65	2,874.56
(बी) खरीद व्यय	24	622.84	159.46
(सी) व्यवसाय में लगे स्टॉक में परिवर्तन	25	(107.81)	(58.98)
(डी) कर्मचारी लाभ व्यय	26	241.10	161.60
(ई) लागत वित्त	27	—	0.37
(एफ) मूल्यहास्य और परिशोधन व्यय		1.98	—
(जी) अन्य व्यय	28	1,656.83	273.37
कुल व्यय		18,728.59	3,410.36
5 कर पूर्व लाभ (3+4)		869.61	252.29
6 कर व्यय			
(ए) चालू कर		243.73	1.22
(बी) स्थगित कर		(3.78)	(2.97)
(सी) पहले के वर्षों में संबंधित लघु / (अतिरिक्त) आयकर		40.89	—
कुल कर (ए+बी+सी)		280.84	(1.74)
7 व्यापार के लिए लाभ (5+6)		588.77	254.04
प्रति समता अंश आय			
(नॉमिनल वैल्यू रुपये 100 प्रति अंश)			
(ए) मूल	33	113	791
(बी) डाईल्यूटेड		113	791
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले साथ में दिए गए नोट देखें	2		

संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
एन आर असोसिएट्स की ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
ए आर एन : 312101ई

ह./—
महुआ मट्टाचार्जी
साझेदारी
सदस्यता संख्या : 508592

दिल्ली

निदेशक मंडल के लिए उसकी ओर से

ह./—
मुकेश बेरीवाल
निदेशक एवं सी ई
डी आई एन : 10697848

ह./—
सरिता देवी
निदेशक
डी आई एन : 09687193

ह./—
अंजना सिंह
निदेशक
डी आई एन : 10190931

ह./—
प्रियंका सत्यवती
कंपनी सचिव
एम संख्या : ए45196

वाराणसी
06.08.2024

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2024 तक रुपए	रुपए लाखों में 31 मार्च 2023 तक रुपए
ए परिचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
वर्ष के लिए लाभ हानि		588.77	254.04
समयोजन के लिए			
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		4.81	4.24
वित्त लागत		1.98	—
मूल्याहस एवं परिशोधन व्यय		—	—
संपत्ति संयंत्र उपकरण और अमूर्त संपत्ति की बिक्री पर हानि/(लाभ)		—	—
अनुदान की प्राप्त ब्याज		—	—
कार्यशील पूंजी में बदलाव से पूर्व परिचालन लाभ		595.57	258.28
कार्यशील पूंजी में बदलाव के लिए समायोजन			
इन्वेंटरी में कमी/(वृद्धि)		(233.55)	(3.15)
व्यापार प्राप्तियां में कमी/(वृद्धि)		(106.93)	(63.47)
ऋण और अग्रिम में कमी/(वृद्धि)		(984.89)	(300.07)
व्यापारिक देयताओं में वृद्धि/(कमी)		(0.03)	(2.47)
अन्य चालू दिन देनदारियों में वृद्धि/(कमी)		614.99	244.08
अल्पकालिक प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)		35.74	59.26
संचालन से उत्पन्न नकद		242.95	10.70
शुद्ध आयकर (भुगतान किया गया) धनवापसी		(431.74)	(55.13)
परिचालन गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) से शुद्ध नकदी प्रवाह (ए)		163.83	203.15
(बी) विनियोग गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
सीडब्ल्यू आईपी सहित संपत्ति संयंत्र उपकरण और अमूर्त प्राप्त ब्याज		(425.66)	(350.84)
		444.77	396.86
		—	—
प्रावधान- गैर चालू		(2.34)	(5.67)
विनियोगात्मक गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह		16.77	40.36
भुगतान के लिए प्रत्यक्ष कर			
(सी) वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
इक्विटी शेयर जारी करने से प्राप्तियां		294.94	75.79
दीर्घकालीन उधार से प्राप्तियां		—	—
कार्यशील पूंजी उधार में निवल वृद्धि/(कमी)		—	—
लामांश दिया		(5.71)	—
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह		289.23	75.79
रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य में शुद्ध कमी/वृद्धि (ए+बी+सी)		469.83	319.30
जोड़े रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य का प्रारंभिक शेष			
अंतिम रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य		424.19	104.89
रोकड़ एवं रोकड़ वित्तीय विवरण इस प्रकार है :		894.02	424.19
जोड़े रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य रोकड़ प्रवाह विवरण		894.02	424.19
बैलेंस शीट के अनुसार जोड़े रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य (नोट 15)		894.02	424.19

संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
एन आर असोसिएट्स की ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
ए आर एन : 312101ई

ह./—
महुआ मट्टाचार्जी
साझेदारी
सदस्यता संख्या : 508592

दिल्ली

निदेशक मंडल के लिए उसकी ओर से

ह./—
मुकेश बेरीवाल
निदेशक एवं सी ई
डी आई एन : 10697848

ह./—
सरिता देवी
निदेशक
डी आई एन : 09687193

ह./—
अंजना सिंह
निदेशक
डी आई एन : 10190931

ह./—
प्रियंका सत्यवती
कंपनी सचिव
एम संख्या : ए45196

वाराणसी
06.08.2024

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

1. कॉर्पोरेट जानकारी

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के तहत 11 नवंबर, 2021 को शामिल किया गया था।

कंपनी ने 9 मार्च, 2022 से उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में खरीद कार्य शुरू कर दिया है। कंपनी वाराणसी और उसके आसपास के गांवों में "मिल्क फूलिंग पौइंट्स" (एमपीपी) के माध्यम से दूध उत्पादकों से सीधे दूध खरीदती है और इसे मदन डेयरी फ्रूट एंड वैजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड और खुले बाजार में अन्य डेयरियों को बेचती है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

(ए) लेखांकन का आधार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करने के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत प्रोद्भव आधार पर तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियाँ पिछले वर्ष अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं।

(बी) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान वित्तीय विवरणों की तारीख और रिपोर्ट की गई आय और व्यय के अनुसार परिसंपत्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की रिपोर्ट की गई मात्रा में अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच का अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात / भौतिक होते हैं।

(सी) राजस्व मान्यता

बिक्री को रिटर्न और व्यापार छूट के अलावा, महत्वपूर्ण जोखिमों और स्वामित्व के पुरस्कारों को खरीदारों को हस्तांतरित करने पर मान्यता दी जाती है, जो आम तौर पर ग्राहकों को माल की डिलीवरी के साथ मेल खाता है।

कंपनी दूध, पशु चारा और खनिज मिश्रण की बिक्री में लगी हुई है।

उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को बिक्री रिटर्न और व्यापार छूट के योग के रूप में मान्यता दी जाती है, जब उत्पादों का नियंत्रण स्थानांतरित हो जाता है, जब उत्पादों को ग्राहक तक पहुंचाया जाता है। डिलीवरी तब होती है जब उत्पादों को विशिष्ट स्थान पर भेज दिया गया हो या वितरित कर दिया गया हो, जैसा भी मामला हो, हानि और इनाम का महत्वपूर्ण जोखिम स्थानांतरित कर दिया गया है, और या तो ग्राहक ने बिक्री अनुबंध के अनुसार उत्पादों को स्वीकार कर लिया है, या कंपनी ने वस्तुनिष्ठ साक्ष्य कि स्वीकृति के सभी मानदंड पूरे कर दिए गए हैं।

(डी) अन्य कमाई

जमा पर ब्याज आय को समय अनुपात के आधार पर पहचाना जाता है, सदस्यों से प्रवेश शुल्क संचय के आधार पर पहचाना जाता है और राजस्व अनुदान का उपयोग संचय के आधार पर किया जाता है।

(ई) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति

अचल संपत्तियों को संचित मूल्यहास / परिशोधन और हानि हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है। अचल संपत्तियों की लागत में किसी भी व्यापार छूट और छूट, किसी भी आयात शुल्क और अन्य करों (कर अधिकारियों से बाद में वसूली योग्य के अलावा) के अलावा इसकी खरीद मूल्य, परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने पर कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार व्यय, अन्य शामिल हैं। परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख तक योग्य अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के कारण होने वाले आकस्मिक खर्च और उधार पर ब्याज / अचल संपत्तियों की खरीद / पूरा होने के बाद उन पर होने वाले व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है, यदि ऐसे व्यय के परिणामस्वरूप ऐसी संपत्ति से भविष्य में होने वाले लाभ में प्रदर्शन के पहले से निर्धारित मानक से अधिक वृद्धि होती है।

(एफ) कैपिटल कार्य – प्रगति पर

जो संपत्तियाँ अभी अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें लागत पर ले जाया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित आकस्मिक व्यय और जिम्मेदार ब्याज शामिल होते हैं।

(जी) मूल्यहास और परिशोधन

(i) परिसंपत्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन के अनुसार मूल अचल संपत्तियों पर मूल्यहास सीधी-रेखा पद्धति पर प्रदान किया गया है। संपत्ति के जीवन का मूल्यांकन तकनीकी सलाह के आधार पर किया गया है, जिसमें संपत्ति की प्रकृति, संपत्ति का अनुमानित उपयोग, संपत्ति की परिचालन स्थिति, प्रतिस्थापन का पिछला इतिहास, प्रत्याशित तकनीकी परिवर्तन, निर्माता की वारंटी और को ध्यान में रखा गया है। रखरखाव सहायता, आदि:

संपत्ति का प्रकार	उपयोगी जीवन
मिल्क कैन	4 वर्ष
प्लांट एवं मशीनरी	10 वर्ष
कंप्यूटर	3 वर्ष
फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स	10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	3 वर्ष
सॉफ्टवेयर	1 वर्ष

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

(ii) अचल संपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य 1 रुपये प्रत्येक पर बरकरार रखा गया है।

(एच) संपत्ति की क्षति

यदि हानि का कोई संकेत मौजूद है तो प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख पर परिसंपत्तियों/नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के अग्रणी मूल्यांकन की हानि के लिए समीक्षा की जाती है। निम्नलिखित अमूर्त संपत्तियों का प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्षति के लिए परीक्षण किया जाता है, भले ही कोई संकेत न हो कि संपत्ति क्षतिग्रस्त है:

(ए) एक अमूर्त संपत्ति जो अभी तक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। और

(बी) एक अमूर्त संपत्ति जिसका परिशोधन उस तारीख से दस वर्ष से अधिक की अवधि में किया जाता है जब संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

यदि संपत्ति की वहन राशि अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक है, तो ऐसी अतिरिक्त राशि के लिए हानि को मान्यता दी जाती है। हानि को लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

वसूली योग्य राशि शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में उनके मूल्य से अधिक है। उपयोग में आने वाला मूल्य उचित छूट कारक के आधार पर भविष्य के नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट देकर निकाला जाता है।

जब कोई संकेत मिलता है कि पहले की लेखांकन अवधि में किसी परिसंपत्ति के लिए पहचानी गई हानि अब मौजूद नहीं है या कम हो सकती है, तो हानि के ऐसे उलट को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जिस हद तक राशि पहले विवरण में चार्ज की गई थी लाभ और हानि का।

(आई) इन्वेंटरी

जहां आवश्यक समझा जाता है, वहां अप्रचलन और अन्य हानियों के लिए प्रावधान करने के बाद लागत से कम और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर इन्वेंटरी का मूल्यांकन किया जाता है। भारत और विधि का उपयोग करके लागत निर्धारित की जाती है। लागत में इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में लगने वाले सभी शुल्क शामिल हैं।

(जे) अनुदान

सरकारी अनुदान और सब्सिडी को तब मान्यता दी जाती है जब यह उचित आश्वासन हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान/सब्सिडी प्राप्त होगी। मूल्यहास योग्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित सरकारी अनुदान को आस्थगित अनुदान के रूप में माना जाता है, जिसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, यानी ऐसे अनुदान से प्राप्त संपत्ति पर लागू गए मूल्यहास को विनियोजित किया जाता है। आस्थगित अनुदान से और कम मूल्यहास शुल्क के माध्यम से लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

राजस्व अनुदान और सब्सिडी को आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(के) कर्मचारी लाभ

(ए) अल्पावधि

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले भुगतान की जाने वाली अपेक्षित अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि को उस वर्ष के दौरान मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं। इन लाभों में प्रदर्शन प्रोत्साहन और क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति शामिल हैं जो उस अवधि के अंत के बाद बारह महीनों के भीतर होने की उम्मीद है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति की लागत का हिसाब इस प्रकार लगाया जाता है:

(ए) संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के मामले में, जब कर्मचारी ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं जो भविष्य में क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति की उनकी पात्रता को बढ़ाती हैं। और

(बी) गैर-संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के मामले में, जब अनुपस्थिति होती है।

कंपनी के पास परिभाषित-योगदान और परिभाषित-लाभ दोनों योजनाएँ हैं। परिभाषित लाभ योजना में विशेष निधि या प्रतिभूतियों में कुछ संपत्तियां होती हैं और योजना को कंपनी द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

i परिभाषित-योगदान योजनाएँ

भविष्य निधि में कंपनी के योगदान को परिभाषित योगदान योजनाओं के रूप में माना जाता है और आवश्यक योगदान की राशि और कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान किए जाने पर व्यय के रूप में लिया जाता है।

ii परिभाषित-लाभ योजनाएँ

ग्रेज्युटी फंड के रूप में परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत अनुमानित यूनित क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, जिसमें प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमाकिक मूल्यांकन किया जाता है। बीमाकिक लाभ और हानि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे घटित होते हैं। पिछली सेवा लागत को तुरंत इस हद तक पहचाना जाता है कि लाभ पहले से ही निहित हैं और अन्यथा लाभ निहित होने तक औसत अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधन किया जाता है। बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य को गैर-मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत के लिए समायोजित करता है, जिसे योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से घटाया जाता है। इस गणना से उत्पन्न कोई भी संपत्ति पिछली सेवा लागत, साथ ही उपलब्ध रिफंड के वर्तमान मूल्य और योजनाओं में भविष्य के योगदान में कटौती तक सीमित है।

iii. अन्य कर्मचारी लाभ

मुआवजा अनुपस्थिति जो उस अवधि के अंत के बाद बारह महीने के भीतर होने की उम्मीद नहीं है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है, उसे बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य पर दायित्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

(एल)आय पर कर

वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर की राशि है जो लागू कर दरों और आयकर अधिनियम, 1961 और अन्य लागू कर कानूनों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाती है।

कर कानूनों के अनुसार भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT), जो भविष्य की आयकर देनदारी के समायोजन के रूप में भविष्य में आर्थिक लाभ देता है, को एक संपत्ति माना जाता है यदि इस बात का पुख्ता सबूत है कि कंपनी सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। तदनुसार, MAT को बैलेंस शीट में एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब यह अत्यधिक संभावना होती है कि इससे जुड़ा भविष्य का आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा।

आस्थगित कर को समय के अंतर पर पहचाना जाता है, जो कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच अंतर होता है जो एक अवधि में उत्पन्न होता है और एक या अधिक बाद की अवधि में उलटने में सक्षम होता है। आस्थगित कर को कर दरों और रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है। आस्थगित कर देनदारियों को सभी समय अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अवशोषित मूल्यहास के अलावा अन्य मदों के समय के अंतर के लिए मान्यता दी जाती है और नुकसान को केवल उस सीमा तक आगे बढ़ाया जाता है जहां उचित निश्चितता मौजूद होती है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, यदि अवशोषित मूल्यहास और घाटे को आगे बढ़ाया जाता है, तो आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है, जब ठोस सबूतों द्वारा समर्थित आभासी निश्चितता हो, कि परिसंपत्तियों का एहसास करने के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों की भरपाई की जाती है यदि ऐसी वस्तुएं समाप्त कर कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर करों से संबंधित हैं और कंपनी के पास इस तरह के सेट ऑफ के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की उनकी वसूली के लिए प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर समीक्षा की जाती है।

भंडार में सीधे मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान और आस्थगित कर को भंडार में मान्यता दी जाती है न कि लाभ और हानि के विवरण में।

(एम) प्रावधान और आकस्मिकताएँ

किसी प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी पर पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों (सेवानिवृत्ति लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्य से छूट नहीं दी जाती है और बैलेंस शीट की तारीख पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है। नोट्स में आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया गया है। आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है।

(एन) उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज, सहायक लागतों का परिशोधन और विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर शामिल हैं, जिन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है। निधियों को उधार लेने से संबंधित लागत उस सीमा तक, जो सीधे तौर पर योग्य संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित नहीं है, ऋण की अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में शामिल की जाती है। योग्य परिसंपत्तियों के निर्माणविकास से संबंधित गतिविधियों की शुरुआत से लेकर ऐसी परिसंपत्ति के पूंजीकरण की तारीख तक की अवधि से संबंधित, पात्र परिसंपत्तियों के लिए आवंटित और उपयोग की गई उधार लागत को परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है। जब अर्हक परिसंपत्तियों पर सक्रिय विकास गतिविधि बाधित होती है, तो विस्तारित अवधि के दौरान उधार लेने की लागत का पूंजीकरण निलंबित कर दिया जाता है और लाभ और हानि के विवरण पर लगाया जाता है।

(ओ) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से कर के बाद लाभ/(हानि) (असाधारण वस्तुओं के कर पश्चात प्रभाव, यदि कोई हो) को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर पतला आय की गणना कर के बाद लाभ/(हानि) को विभाजित करके की जाती है (असाधारण वस्तुओं के कर के बाद के प्रभाव सहित, यदि कोई हो) को व्यय या आय (किसी भी जिम्मेदार करों का शुद्ध) के लिए लाभांश, ब्याज और अन्य शुल्क के लिए समायोजित किया जाता है। डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों के लिए, प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या और इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या जो सभी डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जा सकती थी। संभावित इक्विटी शेयरों को केवल तभी डाइल्यूटिव माना जाता है यदि इक्विटी शेयरों में उनके रूपांतरण से सामान्य परिचालन जारी रखने से प्रति शेयर शुद्ध लाभ कम हो जाएगा। संभावित डाइल्यूटिव इक्विटी शेयरों को अवधि की शुरुआत में परिवर्तित माना जाता है, जब तक कि उन्हें बाद की तारीख में जारी नहीं किया गया हो।

(पी) पट्टे

पट्टा व्यवस्था जहां किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व से जुड़े जोखिम और पुरस्कार काफी हद तक पट्टादाता के पास निहित होते हैं, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में मान्यता दी जाती है। परिचालन पट्टों के तहत पट्टा किराये को पट्टा अवधि के दौरान सीधे रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

(क्यू) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है, जिससे असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ/(हानि) को गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभाव और अतीत या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी स्वर्णन या संयंत्र के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के संचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग किया जाता है।

बैलेंस शीट की तारीख के बाद होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को संज्ञान में लिया जाता है।

(एस) नकद और नकद समकक्ष (नकद प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए)

नकदी में हाथ में नकदी और बैंकों के पास मांग जमा शामिल हैं। नकद समतुल्य अल्पकालिक शेष (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश हैं जो आसानी से ज्ञात मात्रा में नकदी में परिवर्तनीय होते हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन होते हैं।

(टी) संचालन चक्र

कंपनी के उत्पादों/गतिविधियों की प्रकृति और संपत्तियों के अधिग्रहण और नकद या नकद समकक्षों में उनकी वसूली के बीच के सामान्य समय के आधार पर, कंपनी ने अपनी संपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया है।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 3: शेयर पूंजी

रुपये लाखों में

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	अंशों की संख्या	राशि की (रुपये)	अंशों की संख्या	राशि की (रुपये)
(ए) अधिकृत शेयर पूंजी				
रुपये 100/- प्रत्येक के 5,00,000 समता अंश	5,00,000	500.00	5,00,000	500.00

(बी) जारी निर्गमित और पेडअप

रुपये 100/- प्रत्येक के 319962 पूर्ण प्रदत्त समता अंश 3,19,962 319.96 71,428 71.43

नीचे (i) से (iv) नोट देखें

(i) अंशों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

कंपनी के पास शेयरों की केवल एक वर्ग है जिसे इक्विटी शेयर कहा जाता है, जिसका मूल्य 100 रुपये प्रति शेयर है। प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा, कंपनी के बशर्ते आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार सीमित रिटर्न (लामांश) और बोनस के हकदार हैं।

(ii) वर्ष की शुरुआत और अंत में बकाया शेयरों का मिलान

रुपये 100/- प्रत्येक के समता अंश	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	अंशों की संख्या	राशि की (रुपये)	अंशों की संख्या	राशि की (रुपये)
साल की शुरुआत में बकाया शेयर	71,428	71.43	643	0.64
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर (सर्रेंडर किए गए शेयरों का निवल)	2,54,981	254.98	70,785	70.79
घटाएं : वर्ष के दौरान रद्द किए गए शेयर	6,447	6.45	—	—
वर्ष के अंत तक	3,19,962	319.96	71,428	71.43

(iii) कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के तहत 'निर्माता कंपनी' के रूप में पंजीकृत है और किसी भी सदस्य के पास कंपनी की 5% या अधिक शेयर पूंजी नहीं है।

(iv) वर्ष के दौरान नकद या बोनस के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए कोई शेयर जारी नहीं किया गया है।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 4: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

रुपये लाखों में

4.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नेट) का विवरण इस प्रकार है: की वहन राशि:

प्रकार है:	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(ए) प्लांट एवं मशीनरी	827.15	498.60
(बी) कार्यालय उपकरण	32.77	7.45
(ग) फर्नीचर एवं फिक्स्चर	87.50	22.20
(घ) कंप्यूटर और लैपटॉप	41.79	26.22
कुल	989.21	554.48

4.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सकल ब्लॉक, मूल्यहास और शुद्ध ब्लॉक के संबंध में खुलासे नीचे दिए गए हैं: रुपये लाखों में

विवरण	कंप्यूटर और लैपटॉप	फर्नीचर और फिक्स्चर	कार्यालय उपकरण	संयंत्र एवं मशीनरी	कुल
जिला ब्लॉक					
1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	—	—	—	—	—
अतिरिक्त	15.08	3.51	0.61	47.70	66.89
निपटान	—	—	—	—	—
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	15.08	3.51	0.61	47.70	66.89
अतिरिक्त	20.93	19.91	8.38	508.30	557.51
निपटान	—	0.02	—	0.05	0.07
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	36.01	23.39	8.98	555.95	624.33
अतिरिक्त	31.43	70.86	30.80	498.97	632.06
निपटान	—	—	—	1.95	1.95
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	67.44	94.25	39.78	1,052.97	1,254.45
संयित मूल्यहास					
1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	—	—	—	—	—
मूल्यहास व्यय	0.49	0.02	0.02	0.33	0.87
निपटान	—	—	—	—	—
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	0.49	0.02	0.02	0.33	0.87
मूल्यहास व्यय	9.29	1.17	1.51	57.01	68.99
निपटान	—	—	—	—	—
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	9.78	1.19	1.53	57.35	69.85
मूल्यहास व्यय	15.87	5.57	5.48	168.47	195.38
निपटान	—	—	—	—	—
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	25.65	6.76	7.01	225.82	265.24
वहन राशि					
1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	—	—	—	—	—
अतिरिक्त	15.08	3.51	0.61	47.70	66.89
निपटान	—	—	—	—	—
मूल्यहास व्यय	0.49	0.02	0.02	0.33	0.87
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	14.59	3.48	0.59	47.37	66.03
अतिरिक्त	20.93	19.91	8.38	508.30	557.51
निपटान	—	0.02	—	0.05	0.07
मूल्यहास व्यय	9.29	1.17	1.51	57.01	68.99
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	26.22	22.20	7.45	498.60	554.48
अतिरिक्त	31.43	70.86	30.80	498.97	632.06
निपटान	—	—	—	1.95	1.95
मूल्यहास व्यय	15.87	5.57	5.48	168.47	195.38
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	41.79	87.50	32.77	827.15	989.21
शुद्ध वहन राशि					
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	14.59	3.48	0.59	47.37	66.03
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	26.22	22.20	7.45	498.60	554.48
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	41.79	87.50	32.77	827.15	989.21

टिप्पणियाँ: पूंजीगत अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सकल ब्लॉक, मूल्यहास और शुद्ध ब्लॉक के संबंध में खुलासे नीचे दिए गए हैं:

विवरण	कंप्यूटर और लैपटॉप	फर्नीचर और फिक्स्चर	कार्यालय उपकरण	संयंत्र एवं मशीनरी	रुपये लाखों में कुल
सकल लागत					
1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	—	—	—	—	—
अतिरिक्त निपटान	15.08	3.51	0.61	47.70	66.89
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	15.08	3.51	0.61	47.70	66.89
अतिरिक्त निपटान	20.93	19.91	8.38	508.30	557.51
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	36.01	23.39	8.98	555.95	624.33
अतिरिक्त निपटान	31.43	70.86	30.80	495.09	628.18
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	67.44	94.25	39.78	1049.10	1,250.57
संचित मूल्यहास					
1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	—	—	—	—	—
अतिरिक्त निपटान	0.49	0.02	0.02	0.33	0.87
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	0.49	0.02	0.02	0.33	0.87
अतिरिक्त निपटान	9.29	1.17	1.51	57.01	68.99
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	9.78	1.19	1.53	57.35	69.85
अतिरिक्त निपटान	15.78	5.77	2.51	51.84	61.40
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	13.62	4.41	4.04	109.19	131.25
शुद्ध वहन राशि					
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	14.59	3.48	0.59	47.37	66.03
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	26.22	22.20	7.45	498.60	554.48
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	53.82	89.84	35.74	939.91	1,119.32
5. अमूर्त संपत्ति					रुपये लाखों में
अमूर्त संपत्ति का विवरण इस प्रकार है:				31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वहन राशि :					
सॉफ्टवेयर				3.03	4.74
कुल				3.03	4.74
अमूर्त संपत्तियों के सकल ब्लॉक, मूल्यहास और शुद्ध ब्लॉक के संबंध में खुलासे नीचे दिए गए हैं:				31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
विवरण				कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रुपये लाखों में	कुल रुपये लाखों में
सकल लागत					
प्रारंभिक जमा				—	—
परिवर्धन निपटान				4.41	4.41
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि				4.41	4.41
परिवर्धन निपटान				11.74	11.74
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि				16.15	16.15
परिवर्धन निपटान				17.00	17.00
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि				33.15	33.15

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

अमूर्त संपत्तियों के सकल ब्लॉक, मूल्यहास और शुद्ध ब्लॉक के संबंध में खुलासे नीचे दिए गए हैं:
विवरण

	31 मार्च 2024 तक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रुपये लाखों में	31 मार्च 2023 तक कुल रुपये लाखों में
संयुक्त मूल्यहास		
प्रारंभिक जमा	—	—
मूल्यहास व्यय	0.24	0.24
निपटान	—	—
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	0.24	0.24
मूल्यहास व्यय	11.18	11.18
निपटान	—	—
31 मार्च, 2023 को शेष राशि	11.41	11.41
मूल्यहास व्यय	18.71	18.71
निपटान	—	—
31 मार्च, 2024 को शेष राशि	30.13	30.13
वहन राशि		
1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	—	—
परिवर्धन	4.41	4.41
निपटान	—	—
मूल्यहास व्यय	0.24	0.24
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	4.18	4.18
परिवर्धन	11.74	11.74
निपटान	—	—
मूल्यहास व्यय	11.18	11.18
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	4.74	4.74
परिवर्धन	17.00	17.00
निपटान	—	—
मूल्यहास व्यय	18.71	18.71
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	3.03	3.03
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	4.18	4.18
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	4.74	4.74
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	7.77	7.77
6 पूंजीगत कार्य प्रगति पर विवरण	31 मार्च 2024 तक	रुपये लाखों में 31 मार्च 2023 तक
ओपनिंग बैलेंस	—	—
वर्ष के दौरान परिवर्धन	82.50	73.72
कम: वर्ष के दौरान पूंजीकरण	369.58	405.57
समापन शेष	442.82	396.79
	9.26	82.50

टिप्पणियाँ:

(i) पूंजीगत कार्य प्रगति पर है, उम्र बढ़ने का कार्यक्रम

31 मार्च 2024 तक CWIP	अवधि के लिए 1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	CWIP में राशि 2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	रुपये लाखों में कुल
प्रगतिरत परियोजनाएँ	2.36	6.90	—	—	9.26
परियोजनाएँ अस्थायी रूप से निलंबित	—	—	—	—	—
	2.36	6.90	—	—	9.26

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

31 मार्च 2023 तक
CWIP

	अवधि के लिए				रुपये लाखों में कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिरत परियोजनाएँ	82.50	—	—	—	82.50
परियोजनाएँ अस्थायी रूप से निलंबित	—	—	—	—	—
	82.50	—	—	—	82.50

(ii) उपरोक्त परिसंपत्तियाँ पूंजीगत अनुदान से खरीदी गई हैं।

	31 मार्च 2024 तक	रुपये लाखों में 31 मार्च 2023 तक
प्रारंभिक शेष	10.42	2.00
वर्ष के दौरान परिवर्धन	369.58	405.21
वर्ष के दौरान पूंजीकरण समापन शेष	377.64	396.79
	2.36	10.42

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 7

(ए) संपत्ति संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति

विवरण	1 अप्रैल 2023 तक		अतिरिक्त		सकल ब्लॉक निपटान 31 मार्च 2024 तक		संचित मूल्यहास निपटान पर मूल्यहास हटा दिया शुल्क गया		रुपये लाखों में शुद्ध ब्लॉक 31 मार्च 2024 तक 31 मार्च 2024 तक	
	1 अप्रैल 2023 तक	अतिरिक्त	सकल ब्लॉक निपटान 31 मार्च 2024 तक	अतिरिक्त	संचित मूल्यहास निपटान पर मूल्यहास हटा दिया	रुपये लाखों में शुद्ध ब्लॉक 31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 तक			
(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण										
कंप्यूटर एवं लैपटॉप	26.22	31.43	—	57.66	15.87	—	15.87	41.79		
फर्नीचर और फिक्स्चर	22.20	70.86	—	93.06	5.57	—	5.57	87.50		
कार्यालय उपकरण	7.45	30.80	—	38.25	5.48	—	5.48	32.77		
संयंत्र और उपकरण	498.60	498.97	1.95	995.62	68.47	—	168.47	827.15		
कुल	554.48	632.06	1.95	1,184.59	195.38	—	195.38	989.21		
(ii) अमूर्त संपत्ति										
सॉफ्टवेयर	4.74	17.00	—	21.74	18.71	—	18.71	3.03		
कुल	4.74	17.00	—	21.74	18.71	—	18.71	3.03		
(iii) पूंजीगत कार्य										
प्रगति पर	82.50	369.58	442.82	9.26	—	—	—	9.26		
कुल	82.50	369.58	442.82	9.26	—	—	—	9.26		

टिप्पणियाँ: (i) अनुदान से खरीदी/उपयोग की गई संपत्तियों की सूची

विवरण	1 अप्रैल 2023 तक		अतिरिक्त		सकल ब्लॉक निपटान 31 मार्च 2024 तक		संचित मूल्यहास निपटान पर मूल्यहास हटा दिया शुल्क गया		रुपये लाखों में शुद्ध ब्लॉक 31 मार्च 2024 तक 31 मार्च 2024 तक	
	1 अप्रैल 2023 तक	अतिरिक्त	सकल ब्लॉक निपटान 31 मार्च 2024 तक	अतिरिक्त	संचित मूल्यहास निपटान पर मूल्यहास हटा दिया	रुपये लाखों में शुद्ध ब्लॉक 31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 तक			
(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण										
कंप्यूटर एवं लैपटॉप		31.43	—	31.43	3.83	—	3.83	27.60		
फर्नीचर और फिक्स्चर		70.86	0.02	70.84	3.22	0.00	3.22	67.62		
कार्यालय उपकरण		30.80	—	30.80	2.51	—	2.51	28.29		
पौधे और उपकरण		495.09	1.28	493.82	51.84	0.72	51.84	442.70		
कुल	—	628.18	1.30	626.89	61.40	0.72	61.40	566.21		
(ii) अमूर्त संपत्ति										
सॉफ्टवेयर		17.00	—	17.00	13.97	—	13.97	3.03		
कुल	—	17.00	—	17.00	13.97	—	13.97	3.03		
(iii) पूंजीगत कार्य प्रगति पर		(50.19)	—	(50.19)	—	—	—	(50.19)		
कुल	—	(50.19)	—	(50.19)	—	—	—	(50.19)		

टिप्पणियाँ: (ii) मूर्त CWIP

1 वर्ष से कम	अवधि के लिए CWIP में राशि	रुपये लाखों में कुल
—	1-2 वर्ष 6.90	2-3 वर्ष 3 वर्ष से अधिक

(iii) अमूर्त CWIP

1 वर्ष से कम	अवधि के लिए CWIP में राशि	रुपये लाखों में कुल
2.36	1-2 वर्ष —	2-3 वर्ष 3 वर्ष से अधिक —

अवधि समाप्त 31, मार्च 2024	रुपये लाखों में वर्ष समाप्त 31, मार्च 2023
(ए) मूर्त संपत्ति	195.38
(बी) अमूर्त संपत्ति	18.71
	214.10
	80.16

घटाएँ: अनुदान से प्राप्त परिसंपत्तियों से संबंधित मूल्यहास

(212.12)	(80.16)
1.98	—

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 8: आरक्षित एवं अधिशेष		रुपये लाखों में
विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(ए) सामान्य रिजर्व		
प्रारंभिक शेष	254.45	0.42
जोड़ें: लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष से स्थानांतरित	588.77	254.04
घटाएँ: लाभांश FY'2022-23	5.71	—
समापन शेष	837.51	254.45
(बी) लाभ और हानि खाते के विवरण में अधिशेष		
अंतिम बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार शेष	588.77	254.04
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(588.77)	(254.04)
घटाएँ: सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित		
नोट 9: आस्थगित अनुदान		रुपये लाखों में
विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(ए) प्रारंभिक शेष	616.02	72.21
(बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया पूंजीगत अनुदान (नोट संख्या 34 देखें)	592.98	623.98
(सी) घटाएँ: वर्ष के दौरान निपटान की गई संपत्ति	—	—
(डी) घटाएँ: अनुदान से अर्जित संपत्ति से संबंधित मूल्यह्रास (नोट संख्या 10 देखें)	(212.12)	(80.16)
(ई) जोड़ें: परिसंपत्तियों के निपटान पर मूल्यह्रास	—	—
समापन शेष	996.89	616.02
नोट 10: दीर्घकालिक प्रावधान		रुपये लाखों में
विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
ग्रेच्युटी का प्रावधान	2.61	1.98
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	6.01	3.37
बीमारी की छुट्टी के नकदीकरण का प्रावधान	1.54	—
कुल	10.16	5.35
नोट 11: ट्रेड देय		रुपये लाखों में
विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(ए) सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया (नीचे नोट 1 देखें)	—	38.29
(बी) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छोड़कर अन्य लेनदारों का कुल बकाया	877.07	223.79
कुल	877.07	262.09
1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के अनुसार प्रकटीकरण		रुपये लाखों में
विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(ए) (i) किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया मूल राशि	—	38.29
(ii) उस पर देय ब्याज	—	0.37
(बी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार भुगतान किया गया ब्याज और नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	—	—
(सी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज के अलावा भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज	—	0.37
(डी) अर्जित ब्याज और शेष अवैतनिक	—	0.37
(ई) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए अगले वर्षों में भी देय और देय शेष ब्याज।	—	—

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

ii) व्यापार देय उम्र निर्धारण अनुसूची

विवरण	रुपये लाखों में			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
31 मार्च 2024 तक				कुल
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	—	—	—	—
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	877.07	—	—	877.07
(iii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का विवादित बकाया	—	—	—	—
(iv) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का विवादित बकाया	—	—	—	—
कुल	877.07	—	—	877
विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
31 मार्च 2023 तक				कुल
(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया	38.29	—	—	38.29
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	223.79	—	—	223.79
(iii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का विवादित बकाया	—	—	—	—
(iv) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का विवादित बकाया	—	—	—	—
कुल	262.09	—	—	262.09

नोट: उपरोक्त उम्र की गणना लेनदेन की तारीख से की जाती है।

नोट 12: अन्य वर्तमान देनदारियां
विवरण

	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(ए) कर्मचारियों को देय	6.59	3.04
(बी) शेयर सरंजाम	—	0.00
(सी) अन्य देय	10.97	36.45
(डी) स्रोत पर देय आयकर कटौती	10.39	3.15
(ई) भविष्य निधि देय	2.08	1.41
(एफ) देय जीएसटी (आईटीसी का शुद्ध)	0.59	0.28
(जी) प्राप्त अनुदान (उपयोग का शुद्ध) (नोट 34 देखें)	3.40	47.44
(ज) सुरक्षा जमा	206.49	92.10
(घ) देनदारों से अग्रिम	—	—
(जे) अचल संपत्तियों की खरीद के लिए देय	23.55	44.08
(के) एमएसएमई ब्याज देय	—	0.37
कुल	264.06	228.33

नोट 13: अल्पावधि प्रावधान
विवरण

	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(ए) आयकर के लिए प्रावधान (शुद्ध)	243.73	1.22
(बी) ग्रेज्युटी का प्रावधान	0.01	0.12
(सी) प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए प्रावधान	6.47	8.35
(डी) बोनस का प्रावधान	3.92	2.03
(ई) अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	0.97	0.56
(च) बीमारी की छुट्टी के नकदीकरण का प्रावधान	0.14	—
कुल	255.24	12.29

नोट 14: आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ
विवरण

	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अंतिम बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार शेष/(देयता)	2.97	—
वर्ष के दौरान किए गए परिवर्तन		
— अचल संपत्तियों के बुक बैलेंस और टैक्स बैलेंस के बीच अंतर पर	(0.42)	—
— बोनस, ग्रेज्युटी और अवकाश नकदीकरण के प्रावधान पर	4.20	2.97
— भविष्य के वर्षों में परिशोधन के लिए उपलब्ध सीमा तक प्रारंभिक व्यय पर	—	—
कुल	6.74	2.97

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 15: दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	रुपये लाखों में	
विवरण	31 मार्च	31 मार्च
	2024 तक	2023 तक
(ए) सुरक्षा अग्रिम कार्यालय	0.90	2.70
(बी) सुरक्षा अग्रिम बिजली	0.36	—
कुल	1.26	2.70

नोट 16: स्ऑक	रुपये लाखों में	
(कम लागत और शुद्ध पुनः प्राप्त मूल्य पर)		
विवरण	31 मार्च	31 मार्च
	2024 तक	2023 तक
(ए) व्यापार में स्टॉक कच्चा दूध	124.11	46.18
(बी) मवेशी चारा, खनिज, वेटफेन	43.59	13.71
(सी) रसायन, उपभोग्य वस्तुएं और टैग	3.61	4.49
	171.31	64.38

नोट 17: व्यापार प्राप्य	रुपये लाखों में	
विवरण	31 मार्च	31 मार्च
	2024 तक	2023 तक
ए. सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	—	—
बी. असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	1,297.01	312.12
I. संदिग्ध		
—बिल किया गया	—	—
—अनबिल्ड	—	—
सी. असुरक्षित, संदिग्ध माना गया	—	—
कुल	1,297.01	312.12

अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता

ए. सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	—	—
बी. असुरक्षित माना जाता है अच्छा	—	—
सी. असुरक्षित, संदिग्ध माना गया	—	—

व्यापार प्राप्य उम्र बढ़ने का शेड्यूल

31 मार्च 2024 तक					रुपये लाखों में
विवरण	6 महीने से कम	6 महीने -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य — अच्छा माना जाता है	1,297.01	—	—	—	1,297.01
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य — संदिग्ध माना जाता है	—	—	—	—	—
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य — अच्छा माना जाता है	—	—	—	—	—
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य — संदिग्ध माना गया	—	—	—	—	—
	1,297.01	—	—	—	1,297.01

31 मार्च 2023 तक					रुपये लाखों में
विवरण	6 महीने से कम	6 महीने -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य — अच्छा माना जाता है	312.12	—	—	—	312.12
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य — संदिग्ध माना जाता है	—	—	—	—	—
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य — अच्छा माना जाता है	—	—	—	—	—
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य — संदिग्ध माना गया	—	—	—	—	—
	312.12	—	—	—	312.12

नोट: उपरोक्त उम्र की गणना लेनदेन की तारीख से की जाती है।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 18: नकद और नकद समकक्ष विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(ए) नकद और नकद समकक्ष		
(i) हाथ में नकदी –		
(ii) बैंकों के साथ संतुलन		
ए) चालू खातों में	487.36	124.19
बी) शेड्यूल बैंक में जमा (3 महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता)	303.93	300.00
सी) शेड्यूल बैंक में जमा (6 महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता)	102.73	—
एएस 3 के अनुसार नकदी और नकदी समतुल्य – नकदी प्रवाह विवरण	894.02	424.19
(बी) अन्य बैंक शेष		
(i) जमा खातों में	—	—
(ii) सुरक्षा के रूप में रखा गया शेष	—	—
(iii) निर्धारित खातों में	—	—
	894.02	424.19
नोट 19: अल्पावधि ऋण और अग्रिम (असुरक्षित, अच्छा माना जाता है)	रुपये लाखों में	
विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(ए) विक्रेताओं को अग्रिम	—	—
(बी) प्रीपेड व्यय	3.23	3.20
कुल	3.23	3.20
नोट 20: अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ (असुरक्षित, अच्छा माना जाता है)	रुपये लाखों में	
विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(ए) बैंक जमा पर अर्जित लेकिन देय नहीं	1.93	0.18
(बी) टीडीएस और अग्रिम कर प्राप्य	235.31	2.97
(सी) सुरक्षा जमा	—	0.54
कुल	237.24	3.69
नोट 21: संचालन से राजस्व विवरण	रुपये लाखों में	
व्यापारिक माल	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(ए) कच्चा दूध	17,737.97	3,053.15
(बी) पशु चारा	829.67	105.37
(सी) खनिज मिश्रण	22.00	5.97
(डी) माखन घास	2.23	0.22
(ई) वेटफेन	1.29	0.13
(च) बरसीम	3.36	—
(जी) जंबो सुपर	1.05	—
(ज) मेगा स्वीट	0.09	—
(ट) पोषक आहार	0.07	—
(ज) जई बीज	0.36	—
(के) टीएससी	0.03	—
कुल	18,598.12	3,164.84
नोट 22: अन्य आय विवरण	रुपये लाखों में	
विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(ए) सदस्यों से प्रवेश शुल्क	6.37	4.55
(बी) अनुदान से आय	963.48	493.12
(सी) निविदा शुल्क	0.10	—
(डी) सावधि जमा पर ब्याज	19.21	0.15
(ई) एमसीसी से वसूली	10.92	—
कुल	1,000.08	497.82

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 23: व्यापार में स्टॉक की खरीद विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(ए) कच्चा दूध	15,507.91	2,763.16
(बी) पशु आहार	779.28	101.15
(सी) खनिज मिश्रण	15.35	9.53
(डी) माखन घास	2.16	0.21
(ई) वेटफेन	2.00	0.50
(च) बरसीम	3.36	—
(जी) जंबो सुपर	2.30	—
(ज) पोषक आहार	0.10	—
(प) जई बीज	0.36	—
(जे) मेगा स्वीट	0.72	—
(के) टीएससी	0.12	—
कुल	16,313.65	2,874.56

नोट 24: खरीद व्यय विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
रसायन और उपभोग्य सामग्रियों की खपत (नीचे नोट देखें)	20.86	5.10
डीजल खर्च	54.93	27.41
बीएससी श्रम शुल्क	9.34	7.70
माल आवक	413.17	88.70
दूध प्रोत्साहन— सहायक	124.58	21.18
मूल्य प्रोत्साहन	(0.03)	9.37
कुल	622.84	159.46

रसायन और उपभोग्य सामग्रियों की खपत विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
ओपनिंग स्टॉक	4.49	—
जोड़े: वर्ष के दौरान खरीद	19.98	9.59
कम समापन स्टॉक	3.61	4.49
रसायन एवं उपभोग्य की कुल खपत	20.86	5.10

नोट 25: स्टॉक-इन-ट्रेड रुपये की सूची में परिवर्तन विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कच्चे दूध के व्यापार में स्टॉक की सूची में कमी/(वृद्धि)।		
(ए) वर्ष की शुरुआत में इन्वेंटरी	59.89	0.91
(बी) वर्ष के अंत में सूची	167.70	59.89
इन्वेंट्री में शुद्ध (वृद्धि)/कमी	(107.81)	(58.98)

नोट 26: कर्मचारी लाभ व्यय विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(ए) वेतन और मजदूरी	214.65	146.21
(बी) भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	12.04	7.69
(सी) ग्रेज्युटी और मुआवजा अनुपस्थिति	8.10	5.63
(डी) कर्मचारी कल्याण व्यय	6.30	2.08
कुल	241.10	161.60

नोट 27: वित्त लागत विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
एमएसएमई पर ब्याज व्यय	—	0.37
कुल	—	0.37

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 28: अन्य व्यय
विवरण

	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
माल ढुलाई, गाड़ी और अग्रेषण व्यय	1,051.31	86.37
बिजली और ईंधन	4.40	1.49
कृत्रिम गर्भाधान एवं अन्य पीईएस व्यय	49.83	13.69
किराया	20.23	7.82
दरें और कर	1.39	1.58
बीमा व्यय	1.09	0.34
रिटेनरशिप संविदात्मक व्यय	115.95	73.98
मरम्मत एवं रखरखाव – अन्य	3.67	2.79
मरम्मत और रखरखाव – कंप्यूटर	2.93	0.82
सहायकों को प्रोत्साहन एवं कमीशन	29.68	4.06
जीएसटी एवं टीडीएस एवं आयकर पर ब्याज	5.28	0.02
लॉडिंग और अनलोडिंग शुल्क	5.27	0.82
यात्रा एवं वाहन	47.27	29.27
प्रशिक्षण व्यय	65.43	1.57
परीक्षण शुल्क	2.33	0.31
संचार एवं नेटवर्किंग व्यय	27.34	8.70
शीतलन शुल्क	169.76	17.17
मुद्रण एवं स्टेशनरी	17.56	10.05
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	(1.10)	0.02
व्यावसायिक शुल्क	15.81	7.30
बैठक व्यय	10.38	1.78
चिविद्य व्यय	5.50	1.87
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक (नीचे नोट (1) देखें)	1.69	1.53
हाउसकीपिंग एवं सुस्था व्यय	3.84	—
कुल	1,656.83	273.37

नोट 1: लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक
विवरण

	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(ए) वैधानिक लेखापरीक्षा शुल्क	1.16	1.05
(बी) टैक्स ऑडिट शुल्क	0.28	0.25
(सी) ऊपर पर जीएसटी	0.26	0.23
कुल	1.69	1.53

नोट 29: आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएं (जिस सीमा तक प्रावधान न किया गया हो)
विवरण

	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
आकस्मिक देयताएँ		
कंपनी के विरुद्ध दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	शून्य	शून्य
प्रतिबद्धताएँ		
पूँजीगत खाते पर निष्पादित होने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया (अग्रिम भुगतान शून्य रुपये; पिछले वर्ष शून्य रुपये)	16.50	193.97
	16.50	193.97

नोट 30: प्रस्तावित लाभांश

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के संबंध में, 06 अगस्त 2024 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशकों ने पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों पर 25.59696 लाख रुपये (@8/- रुपये प्रति शेयर) का अंतिम लाभांश देने का प्रस्ताव रखा है। इक्विटी लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन है और इसे वित्तीय विवरणों में देनदारी के रूप में शामिल नहीं किया गया है। प्रस्तावित इक्विटी लाभांश पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों के सभी 24,302 धारकों को देय है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश, 31 मार्च, 2023 तक पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों के सभी 11,239 धारकों के लिए 5.714 लाख रुपये (@ 8/- प्रति शेयर) का कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान भुगतान किया गया था।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 31: मुकदमे

विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
किसी भी ग्राहक, सेवा प्रदाता, लेनदारों, कर्मचारियों, के साथ लंबित मुकदमे या विवाद सरकारी प्राधिकारी और अन्य हितधारक वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों का प्रभाव	रुपये शून्य शून्य	रुपये शून्य शून्य
	—	—

नोट 32: कंपनी दूध के व्यापार के एकल व्यवसाय खंड में लगी हुई है और भारत में एकल भौगोलिक खंड में काम करती है। इसलिए सेगमेंट रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक (एएस) – 17 के तहत आवश्यक खुलासे लागू नहीं होते हैं।

नोट 33: पट्टे की व्यवस्था

कंपनी ने परिचालन पट्टे पर परिसर लिया है। वर्ष के दौरान भुगतान किए गए पट्टा किराये को लेखांकन मानक 19 (एएस 19) "पट्टे" के अनुसार व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

कंपनी ने कार्यालय परिसर, बीएमसी और स्टोर के लिए चार परिचालन पट्टा व्यवस्थाएं की हैं। लीज किराये का खर्च रु. परिचालन पट्टे के तहत दायित्व के संबंध में 2023193/- को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान हैं:

विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
1 वर्ष के बाद देय नहीं	रुपये 0.48	रुपये 5.83
1 वर्ष से बाद में देय लेकिन 5 वर्ष से अधिक नहीं	53.57	—
	54.05	5.83

नोट 34: प्रति इक्विटी शेयर आय

विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कर पश्चात शुद्ध लाभ	रु. 588.77	रु. 254.04
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या	5.22	0.32
प्रति इक्विटी शेयर नाममात्र मूल्य	100.00	100.00
प्रति शेयर मूल आय	112.75	790.78
इक्विटी शेयरों का उपयोग प्रति शेयर	5.22	0.32
पतला आय की गणना करने के लिए किया जाता है प्रति शेयर पतला आय	112.75	790.78

नोट 35: "कर्मचारी लाभ" पर संशोधित लेखा मानक 15 (एएस-15) के अनुसार प्रकटीकरण

ए. परिभाषित योगदान योजना

कंपनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि के रूप में परिभाषित योगदान योजना प्रदान करती है, जो सभी नियमित कर्मचारियों को कवर करती है। भविष्य निधि अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी) के पास जमा किया जाता है। कर्मचारी और कंपनी दोनों भविष्य निधि में पूर्व निर्धारित योगदान का भुगतान करते हैं। योगदान आम तौर पर कर्मचारी के वेतन के निश्चित अनुपात पर आधारित होता है।

विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
भविष्य निधि योगदान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है	रुपये 12.04	रुपये 7.69

बी. परिभाषित लाभ योजना

कंपनी अपने कर्मचारियों को ग्रैच्युटी योजना (एकमुश्त राशि) के रूप में परिभाषित लाभ योजनाएं प्रदान करती है। परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत लाभ सेवा के वर्षों और कर्मचारियों के मुआवजे (सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले) पर आधारित होते हैं। ग्रैच्युटी योजना सभी नियमित कर्मचारियों को कवर करती है। ग्रैच्युटी योजना के मामले में कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित ट्रस्ट और आयकर अधिकारियों द्वारा अनुमोदित धनराशि में योगदान करती है। प्रतिबद्धताएं वारस्तविक रूप से वर्ष के अंत में निर्धारित की जाती हैं। बीमांकिक मूल्यांकन "प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीसीयू) बीमांकिक पद्धति" के आधार पर किया जाता है। परिवर्तित बीमांकिक धारणाओं के लाभ और हानि को लाभ और हानि खाते के विवरण में शामिल किया जाता है।

ग्रैच्युटी और वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशि के संबंध में परिभाषित लाभ योजना की वित्त पोषित स्थिति।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
i.नियोक्ता व्यय का खुलासा		
वर्तमान सेवा लागत	1.34	1.72
ब्याज लागत	0.11	0.04
भुगतान किया गया लाभ	—	—
बीमांकिक हानि (लाभ)	0.28	(0.22)
अवैतनिक बकाया ग्रेज्युटी	—	0.12
परिभाषित लाभ लागत पी और एल में शामिल है	1.73	1.65
ii.बीमांकिक (लाभ)/हानि का विश्लेषण		
डीबीओ में जनसांख्यिकीय अनुमान परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/नुकसान	—	—
डीबीओ में वित्तीय अनुमान परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1.11)	—
डीबीओ पर अनुभव समायोजन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	1.39	(0.22)
योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न (अधिक)/छूट दर से कम	—	—
प्रतिपूर्ति अधिकारों पर रिटर्न (ब्याज आय को छोड़कर)	—	—
परिसंपत्ति सीमा/भारी देनदारी में परिवर्तन (ब्याज आय को छोड़कर)	—	—
कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.28	(0.22)
iii.बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति/(देयता)		
वित्त पोषित दायित्व का वर्तमान मूल्य	—	—
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	—	—
अनिधिकृत दायित्व का वर्तमान मूल्य	2.62	1.98
वित्तपोषित स्थिति [(घाटा)]	(2.62)	(1.98)
अज्ञात पिछली सेवा लागतें	—	—
राशि को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी गई	—	—
अवैतनिक बकाया ग्रेज्युटी	—	(0.12)
शुद्ध देयता	(2.62)	(1.98)
बीएस में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता	(2.62)	(2.10)
iv. वर्तमान और गैर-वर्तमान विभाजन		
पीवीओ (अनफंडेड स्कीम) वर्तमान	0.0080	0.0036
गैर वर्तमान	2.6104	1.9765
v.समाप्त होने वाली अवधि में दायित्व में परिवर्तन		
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (उद्घाटन)	2.10	0.66
ब्याज लागत	0.11	0.04
वर्तमान सेवा लागत	1.34	1.72
पूर्व सेवा लागत	—	—
बस्तियाँ	—	—
योजना से लाभ भुगतान	—	—
नियोक्ता से लाभ भुगतान	(1.21)	(0.22)
अधिग्रहण/विनिवेश/स्थानांतरण	—	—
बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.28	(0.22)
अवैतनिक बकाया ग्रेज्युटी	—	0.12
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (समापन)	2.62	2.10
vi. योजना परिसंपत्तियों के उद्घाटन और समापन मूल्यों का मिलान		
आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (उद्घाटन)	—	—
ओपनिंग बैल्यू में अंतर	—	—
नियोक्ता का योगदान	—	—
नियोक्ता प्रत्यक्ष लाभ भुगतान	1.21	0.22
योजना प्रतिभागियों का योगदान	—	—
परिसंपत्तियों की अपेक्षित ब्याज आय में स्थानांतरण/अधिग्रहण	—	—
स्थानांतरण/विनिवेश	—	—
जोखिम लाभ के लिए बीमा प्रीमियम	—	—

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
योजना से लाभ भुगतान	—	—
नियोक्ता से लाभ भुगतान	(1.21)	(0.22)
योजना परिसंपत्तियों से भुगतान किए गए प्रशासनिक व्यय/कर	—	—
बीमाकिक लाभ/(हानि)	—	—
विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव	—	—
अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	—	—
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	—	—
vii. बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति/(देयता) का समाधान		
वर्ष की शुरुआत में शुद्ध देयता/(संपत्ति)	(2.10)	(0.66)
राशि पहचानी नहीं गई	—	—
नियोक्ता व्यय को छोड़कर	(1.73)	(1.54)
नियोक्ता का योगदान	—	—
नियोक्ता प्रत्यक्ष लाभ भुगतान	1.21	0.22
अधिग्रहण/विनिवेश	—	—
सीमा का प्रभाव	—	—
अवैतनिक बकाया ग्रेज्युटी	—	(0.12)
वर्ष के अंत में शुद्ध देयता/(संपत्ति)	(2.62)	(2.10)

viii. समाप्त होने वाली अवधि के लिए नियोक्ता व्यय का खुलासा नियोक्ता व्यय के घटक

अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2.10	0.66
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2.62	1.98
मूल्यांकन अवधि के दौरान देयता में शुद्ध वृद्धि	0.52	1.32
कंपनी से सीधे भुगतान किए गए लाभ	1.21	0.22
योजना से लाभ भुगतान	—	—
योजना परिसंपत्तियों पर कम वास्तविक रिटर्न	—	—
“समाप्ति लाभ/अधिग्रहण/स्थानांतरण की लागत”, “प्रशासनिक व्यय/कर/बीमा लागत/विनिमय दर कॉस्ट”, “राशि संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं	—	—
लाभ/हानि विवरण में मान्य व्यय	1.73	1.54
अवैतनिक बकाया ग्रेज्युटी	—	0.12
चालू वर्ष में पी और एल	1.73	1.65

ix. प्रमुख बीमाकिक मान्यताएँ

छूट दर	7.23% प्रति वर्ष	7.52% प्रति वर्ष
परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	—	—
वेतन वृद्धि दर	2.77% प्रति वर्ष	7.00% प्रति वर्ष
क्षय दर	5.00% प्रति वर्ष	5.00% प्रति वर्ष

प्रयुक्त मूल्य तालिका आई-ए-एल-एम (2012-14) अल्टीमेट

	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2024 तक रुपये	31 मार्च 2023 तक रुपये

सी. क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के लिए बीमाकिक अनुमान (छुट्टी देयता)

i. आय विवरण में व्यय को मान्यता दी गई

वर्ष की शुरुआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	3.94	0.51
प्रारंभ में (समापन) परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	6.98	3.82
मूल्यांकन अवधि के दौरान देनदारी में शुद्ध वृद्धि	3.05	3.31
नियोक्ता से लाभ भुगतान	(1.63)	(0.32)
योजना से लाभ भुगतान	—	—
समाप्ति लाभ/अधिग्रहण/स्थानांतरण की लागत	—	—
योजना परिसंपत्तियों पर कम वास्तविक रिटर्न	—	—
अवैतनिक बकाया अवकाश	—	0.12
परिभाषित लाभ लागत पी और एल में शामिल है	4.68	3.75

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
ii. शुद्ध संपत्ति / (देयता) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है		
वित्त पोषित दायित्व का वर्तमान मूल्य	—	—
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	—	—
अनिधिकृत दायित्व का वर्तमान मूल्य	6.98	3.82
वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(6.98)	(3.82)
अज्ञात पिछली सेवा लागतें	—	—
राशि को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी गई	—	—
शुद्ध देयता	(6.98)	(3.82)
अवैतनिक बकाया छुट्टी	—	(0.12)
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त	(6.98)	(3.94)
नकदीकरण दायित्व का वर्तमान मूल्य	6.42	3.56
लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	0.57	0.26
iii. वर्तमान और गैर-वर्तमान विभाजन		
पीवीओ (अनफंडेड स्कीम)	वर्तमान गैर चालू	0.97 0.45
		6.01 3.37
iv. शुद्ध संपत्ति / (देयता) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है		
शुद्ध संपत्ति / (देयता) अवधि की शुरुआत में मान्यता प्राप्त	(3.94)	(0.51)
नियोक्ता व्यय	(4.68)	(3.63)
नियोक्ता का योगदान	—	—
नियोक्ता प्रत्यक्ष लाभ भुगतान	1.63	0.32
अधिग्रहण / विनिवेश	—	—
सीमा का प्रभाव	—	—
अवैतनिक बकाया छुट्टी	—	(0.12)
v. प्रधान बीमांकिक अनुमान		
छूट दर	7.23% प्रति वर्ष	7.52% प्रति वर्ष
परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	—	—
वेतन वृद्धि	2.77% प्रति वर्ष	7.00% प्रति वर्ष
क्षय दर	5.00% प्रति वर्ष	5.00% प्रति वर्ष
प्रयुक्त मूल्य तालिका I.A.L.M. (2012-14) अल्टीमेट		

	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक

सी. क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के लिए बीमांकिक अनुमान (बीमार छुट्टी देयता)

i. आय विवरण में व्यय को मान्यता दी गई		
वर्ष की शुरुआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	—	—
आरंभ में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (समापन)	1.68	—
मूल्यांकन अवधि के दौरान देनदारी में शुद्ध वृद्धि	1.68	—
नियोक्ता से लाभ भुगतान	(0.00)	—
योजना से लाभ भुगतान	—	—
समाप्ति लाभ / अधिग्रहण / स्थानांतरण की लागत	—	—
योजना परिसंपत्तियों पर कम वास्तविक रिटर्न	—	—
अवैतनिक बकाया छुट्टी	—	—
परिभाषित लाभ लागत P&L में शामिल	1.68	—
ii. शुद्ध संपत्ति / (देयता) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है		
वित्त पोषित दायित्व का वर्तमान मूल्य	—	—
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	—	—
अनिधिकृत दायित्व का वर्तमान मूल्य	1.68	—
वित्तपोषित स्थिति [अधिशेष / (घाटा)]	(1.68)	—
अज्ञात पिछली सेवा लागतें	—	—

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
राशि को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी गई	—	—
शुद्ध देयता	(1.68)	—
अवैतनिक बकाया छुट्टी	—	—
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त	(1.68)	—
नकदीकरण दायित्व का वर्तमान मूल्य	—	—
लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	—	—
iii. वर्तमान और गैर-वर्तमान विभाजन		
पीवीओ (अनफंडेड स्कीम) वर्तमान	0.14	—
गैर वर्तमान	1.54	—
iv. शुद्ध संपत्ति/(देयता) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है		
अवधि की शुरुआत में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति/(देयता)	—	—
नियोक्ता व्यय	(1.68)	—
नियोक्ता का योगदान	—	—
नियोक्ता प्रत्यक्ष लाभ भुगतान	—	—
अधिग्रहण/विनिवेश	—	—
सीमा का प्रभाव	—	—
अवैतनिक बकाया छुट्टी	—	—
	(1.68)	—
v. प्रधान बीमांकिक अनुमान		
छूट दर	7.23% प्रति वर्ष	7.52% प्रति वर्ष
परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	—	—
वेतन वृद्धि	2.77% प्रति वर्ष	7.00% प्रति वर्ष
क्षय दर	5.00% प्रति वर्ष	5.00% प्रतिवर्ष

प्रयुक्त मूल्य तालिका I-A-L-M- (2012-14) अल्टीमेट

नोट 36: संबंधित पार्टी के खुलासे

ए. संबंधित पक्षों का नाम और रिश्ते की प्रकृति		व्यक्ति का नाम
रिश्ते की प्रकृति		डॉ. मनवीर सिंह
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
मुख्य प्रबंधन कार्मिक		प्रियंका सत्यवाली
		(कंपनी सचिव)
बी. संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन		रुपये लाखों में
वर्ष के दौरान लेनदेन	केएमपी	रकम रुपये में
1. आय	—	—
2. व्यय		
प्रबंधकीय पारिश्रमिक	42.37	42.37
	(34.15)	(34.15)
व्यय प्रतिपूर्ति	2.27	2.27
	(0.35)	(0.35)
3. वर्ष के अंत में शेष		
देय व्यय	—	—
	(—)	(—)

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ों को दर्शाते हैं

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 37: अनुदान का विवरण:		रुपये लाखों में		
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से प्राप्त अनुदान का विवरण	31 मार्च	31 मार्च		
और इसका उपयोग इस प्रकार है।	2024 तक	2023 तक		
	रुपये	रुपये		
ए. शेष आगे खरीदा गया	47.44	21.76		
बी. वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ	1,509.99	1,141.75		
सी. अनुदान निधि पर अर्जित ब्याज				
प्राप्त ब्याज	2.30	0.84		
उपार्जित एवं देय ब्याज	0.13	0.19		
डी. वर्ष के दौरान उपयोग किया गया				
– संपत्ति संयंत्र और उपकरण के लिए (वसूली का शुद्ध)	588.20	552.38		
– पूंजीगत कार्य प्रगति पर	–	54.73		
– राजस्व व्यय के लिए	939.48	409.51		
कुल उपयोग	1,527.68	1,016.62		
ई. वापस कर दिया गया	–	–		
एफ. अप्रयुक्त अनुदान	32.05	147.72		
जी. घटाएँ: 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए योग्य परिचालन व्यय अनुदान से उपयोग किए जाएंगे	24.00	83.61		
घटाएँ: 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए पात्र पूंजीगत व्यय का उपयोग अनुदान से किया जाएगा	4.78	16.87		
आगे बढ़ाया गया शेष (एफ-जी)	3.40	47.44		
नोट 1: पूंजीगत संपत्तियों की खरीद के लिए उपयोग किए गए अनुदान को आस्थगित अनुदान के रूप में दर्ज किया गया है और उपयोग किए गए राजस्व अनुदान को अन्य आय के तहत दिखाया गया है।				
नोट 38: क्षति हानि				
31 मार्च, 2024 तक लेखांकन मानक '28' के अनुसार प्रबंधन द्वारा की गई समीक्षा के आधार पर अचल संपत्तियों पर कोई हानि नहीं हुई थी।				
नोट 39: प्रबंधन की राय में लेनदारों के खातों में शेष राशि सत्य और सही है और व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में दर्शाई गई सीमा तक देय है।				
नोट 40: खंड रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक एएस-17 के तहत अपेक्षित प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी मुख्य रूप से कच्चे दूध की बिक्री के एकल व्यवसाय खंड में काम करती है और एक भौगोलिक क्षेत्र में काम करती है।				
नोट 41: अतिरिक्त विनियामक जानकारी: अनुपात				
अनुपात	मीटर	भाजक	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्तमान अनुपात (समय में)	कुल मौजूदा संपत्तियाँ कुल ऋण में उधार और पट्टा	मौजूदा देनदारियाँ कुल इक्विटी	1.86	1.61
ऋण-इक्विटी अनुपात (समय में)	देनदारियाँ शामिल हैं		–	–
ऋण सेवा कवरेज	ऋण सेवा के लिए कमाई = करों के बाद शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय + ब्याज + अन्य गैर-नकद समायोजन	ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकौती	–	–
इक्विटी अनुपात पर रिटर्न (% में)	वर्ष के लिए लाभ कम वरीयता लाभांश (यदि कोई)	औसत कुल इक्विटी	79%	155%
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए सामान की लागत	औसत व्यापार प्राप्तियाँ	158.92	104.46
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में)	संचालन से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्तियाँ	23.12	19.53
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय में)	शुद्ध क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	28.64	23.78
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (समय में)	संचालन से राजस्व	औसत कार्यशील पूंजी (यानी कुल वर्तमान संपत्ति कुल चालू देनदारियाँ)	15.42	10.38
शुद्ध लाभ अनुपात (% में)	इस साल का मुनाफा	संचालन से राजस्व	4.44	6.89
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (% में)	कर और वित्त लागत से पहले लाभ	नियुक्त पूंजी = कुल मूल्य + लीज देनदारियाँ + विलंबित कर दायित्व	75%	77%
निवेश पर रिटर्न (% में)	निवेशित फंड से उत्पन्न आय	ट्रेजरी निवेश में औसत निवेशित फंड	–	–

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 42: आवंटन के लिए लंबित आवेदन राशि साझा करें

वर्ष के दौरान कंपनी को 100 रुपये प्रत्येक की दर से 294943 इक्विटी शेयरों से 2,94,94,300 /— रुपये की शेयर आवेदन राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से कंपनी ने 100 रुपये प्रत्येक की दर से 254981 इक्विटी शेयरों से 25,498,100 /— आवंटित किए हैं। 100 रुपये प्रत्येक की दर से 51418 शेयरों के लिए 51,41,800 रुपये की शेष आवेदन राशि 31.03.2024 तक आवंटन के लिए लंबित थी। 31.03.2024 तक कंपनी की कुल जारी और चुकता पूंजी 3,19,96,200 रुपये है, जबकि 5,00,000 शेयरों के लिए 100 रुपये प्रति शेयर की दर से 5,00,00,000 रुपये की अधिकृत पूंजी है। आवंटन के लिए लंबित उपर दिये शेयर आवेदन राशि आवेदन राशि प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर आवंटित की जाएगी।

नोट 43: अन्य प्रकटीकरण / मामले

(i) हटाई गई कंपनियों के साथ संबंध:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया गया है।

(ii) अधोषित आय

ऐसी कोई आय नहीं है जिसका खुलासा लेखा पुस्तकों में न किया गया हो। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अवधि के दौरान किसी भी अधोषित आय को सरेंडर या आय के रूप में प्रकट नहीं किया गया है।

(iii) क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा का विवरण:

क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी से जुड़े लेनदेन पर लाभ या हानि	31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ऐसा कोई लेनदेन नहीं हुआ है।
रिपोर्टिंग तिथि पर रखी गई मुद्रा की राशि	31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ऐसा कोई लेनदेन नहीं हुआ है।
क्रिप्टो करेंसी/आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति से जमा या अग्रिम	31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ऐसा कोई लेनदेन नहीं हुआ है।

(iv) धारित बेनामी संपत्ति का विवरण

31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए समूह के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(v) इरादतन बचककर्ता

किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान ने होल्डिंग कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों को "विलफुल डिफॉल्टर" घोषित नहीं किया है।

(vi) कंपनी रजिस्ट्रार के साथ शुल्कों का पंजीकरण या संतुष्टि:

लागू नहीं

(vii) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ("कोड") को 29 सितंबर 2020 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, जो कुछ रोजगार लाभों के लिए समूह के योगदान को प्रभावित कर सकता है। परिवर्तन लागू होने की प्रभावी तिथि अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है और नियम भी बनाए जाने बाकी हैं। परिवर्तन के प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन किया जाएगा और प्रासंगिक प्रावधानों की अधिसूचना की अवधि में हिसाब लगाया जाएगा।

(viii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत उल्लिखित राशि के संबंध में, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में जमा करने के लिए कोई बकाया नहीं था।

(ix) निदेशक मंडल की राय में, 31 मार्च 2023 को बैलेंस शीट में दिखाई देने वाली सभी मौजूदा संपत्ति और दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम, कंपनी के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में, वसूली पर मूल्य कम से कम बराबर हैं उस राशि तक जिस पर वे वित्तीय विवरणों में बताए गए हैं। निदेशक मंडल की राय में, इन शेष राशि की वसूली के विरुद्ध कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

(x) कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानि हो।

(xi) पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और देय अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।

(xii) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने एक अधिसूचना (कंपनी (खाता) संशोधन नियम, 2021) जारी की है जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक कंपनी जो अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है, केवल लेखांकन सॉफ्टवेयर में प्रत्येक लेन-देन के ऑडिट ट्रेल को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, और इसके अलावा खाते की पुस्तकों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन का एक संग्रहण लॉग बनाने की तारीख के साथ-साथ ऐसे परिवर्तन किए गए हैं और यह सुनिश्चित करना है कि ऑडिट ट्रेल को अक्षम नहीं किया जा सकता है।

कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए टैली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है। 11 अप्रैल, 2023 के बाद से सारे लेनदेन इसी सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड किये गये हैं।

कंपनी ने दूध संग्रह में मात्रा और फैंट/एसएनएफ की रिकॉर्डिंग के लिए स्मार्ट एमपीएमएस और एमपीएमएस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है। सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड किए गए सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए इस सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा सक्षम नहीं थी।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

“जैसा कि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल का संरक्षण 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है। .

(xiii) **बाद की घटनाएँ**

रिपोर्टिंग तिथि के बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसके लिए वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की आवश्यकता हो।

नोट 44: संबंधित पिछले वर्ष के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह./—
मुकेश बेरीवाल
निदेशक एवं सीई
डीआईएन : 10697848

ह./—
सरिता देवी
निदेशक
डीआईएन : 09687193

ह./—
अंजना सिंह
निदेशक
डीआईएन : 10190931

ह./—
प्रियंका सत्यवाली
कंपनी सचिव
एम.न.ए : 45196

सीन : वाराणसी
दिनांक: 06.08.2024

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01409UP2021PTC155262

पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल, एस-2/1-77, टैगोर टाउन एक्सटेंशन, पंचकोशी रोड, वाराणसी - 221002

ईमेल: info@kasheemilk.com फ़ोन: [0542-4085526](tel:0542-4085526)

सूचना

सूचित किया जाता है कि काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की चौथी वार्षिक आम सभा बुधवार, 18 सितंबर 2024 को होटल द पिन्नेकल इन, सारनाथ में हवेलिया चौराहा, सारनाथ, एसए-15/129 ई, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221007 में दोपहर 12: 00 बजे निम्नलिखित व्यवसाय हेतु आयोजित की जाएगी।

1. 31 मार्च 2024 तक की लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण को अनुसूचियों और नोट्स के साथ प्राप्त करना और अपनाना तथा उस पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट अपनाना और इस संबंध में सामान्य संकल्प को पारित करना।

"संकल्प लिया गया है कि 31 मार्च 2024 तक की ऑडिटेड तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण को अनुसूचियों और नोट्स के साथ और निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ अपनाया जाता है।"

2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोसणा करना तथा इस संबंध में सामान्य संकल्प को पारित करना।

"संकल्प लिया गया है कि 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के अर्जित लाभ में से ₹8/-प्र प्रति इक्विटी शेयर पर की दर से शेयर पूंजी पर सीमित लाभांश (लाभांश), रुपये 100 के 3,19,96,2 इक्विटी शेयरों पर पूरी तरह से भुगतान किया गया, जिसमें रुपये 25,59,696/- शामिल है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए इसे मंजूरी दी गयी है और इसकी पुष्टि की गयी है और इसे उन इक्विटी शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं।"

3. श्रीमती ममता सिंह (DIN:09395184) जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना ।

" संकल्प लिया गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZA और आर्टिकल्स के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, श्रीमती ममता सिंह (DIN:09395184) निदेशक जो आगामी वार्षिक सामान्य सभा में रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रही हैं, पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं और अपने दो लगातार कार्यकाल पूरा करने पर सेवानिवृत्त हो रही हैं।"

4. श्रीमती संगीता देवी (DIN 09687721), की सेवानिवृत्ति पर, जो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं, निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव को अपनाने का प्रस्ताव है:

“संकल्प लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA और आर्टिकल ऑफ एसोसिएयसन(अंतर्नियमों) के अनुच्छेद संख्या 9.6 की शर्तों और कंपनी अधिनियम 2013 के लेखों के अन्य लागू प्रावधानों (जो कि किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ) श्रीमती संगीता देवी (DIN 09687721), निदेशक, जो कंपनी की चौथी वार्षिक सामान्य बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदाई है और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं, उन्हें कंपनी का निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यालय की अवधि रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

5. श्रीमती गीता वर्मा (DIN: 10743665) की निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार करना ।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संसोधनों के साथ या बिना संशोधन के इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना ।

“संकल्प लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA और लेखों के संघटन के अन्य लागू प्रावधानों के तहत, (जो कि किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ) श्रीमती गीता वर्मा (DIN: 10743665), को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यालय की अवधि रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी। संबंधित प्रस्ताव है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक, उचित और अनिवार्य कार्यवाही करने के लिए अधिकृत हैं ।”

6. श्रीमती मंजू देवी (DIN: 10743357) की निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार करना ।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संसोधनों के साथ या बिना संशोधन के इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना ।

“संकल्प लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA और लेखों के संघटन के अन्य लागू प्रावधानों के तहत, (जो कि किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ) श्रीमती मंजू देवी (DIN: 10743357) को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यालय की अवधि रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी। संबंधित प्रस्ताव है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक, उचित और अनिवार्य कार्यवाही करने के लिए अधिकृत हैं ।”

7. श्रीमती पूनम देवी (DIN: 10743330) की निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार करना ।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संसोधनों के साथ या बिना संशोधन के इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना ।

“संकल्प लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA और लेखों के संघटन के अन्य लागू प्रावधानों के तहत, (जो कि किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ) श्रीमती पूनम देवी (DIN: 10743330), को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यालय की अवधि रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी। संबंधित प्रस्ताव है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक, उचित और अनिवार्य कार्यवाही करने के लिए अधिकृत हैं ।”

8. श्रीमती रीना देवी (DIN: 10743346) की निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार करना ।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संसोधनों के साथ या बिना संशोधन के इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना ।

“संकल्प लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA और लेखों के संघटन के अन्य लागू प्रावधानों के तहत, (जो कि किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ) श्रीमती रीना देवी (DIN:10743346), को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यालय की अवधि रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी। संबंधित प्रस्ताव है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक, उचित और अनिवार्य कार्यवाही करने के लिए अधिकृत हैं ।”

9. विभिन्न वर्गों में सदस्यों को संरक्षकता के आधार पर वर्गीकृत करने के मानदंडों पर विचार और अनुमोदन करने के लिए ।

“संकल्प लिया गया है कि कंपनी के लेखों के अनुच्छेद 9.4 के अनुसार, व्यापार में सदस्य की भागीदारी (यानी प्रायोजन) के आधार पर सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के मानदंड, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित किया गया है, यहाँ पर दिये गए हैं, और इसे अनुमोदित और अपनाया जाता है।”

क्र.सं.	मानदंड	श्रेणी - ए	श्रेणी - बी	श्रेणी - सी
1.	एक साल में एमपीसी को आपूर्ति किए गए दूध के दिन	>= 270 दिन	>= 270 दिन	>=200 दिन
2.	एमपीसी को आपूर्ति की गई सालाना दूध की मात्रा (लीटर में)	>=3000 लीटर	>=1500 लीटर	>=500 लीटर

क्र.सं.	मानदंड	श्रेणी - ए	श्रेणी - बी	श्रेणी - सी
3.	फलश महीने (नवंबर से फरवरी) में आपूर्ति की गई दूध की मात्रा की तुलना में पतझड़ महीने (अप्रैल से जुलाई) में आपूर्ति की गई दूध की मात्रा;	3 से अधिक नहीं	3 से अधिक नहीं	3 से अधिक नहीं
4.	न्यूनतम एमपीसी शेयर सब्सक्रिप्शन (शेयर पूंजी का योगदान)	30 शेयर (Rs.3000/-)	15 शेयर (Rs.1500/-)	5 शेयर (Rs.500/-)

• नोट -

- वर्गीकरण के लिए वास्तविक शेयर योगदान या वास्तविक दूध की मात्रा में से जो कम होगा, उसे ध्यान में रखा जाएगा।
- प्रायोजन की गणना के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाएंगी:

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान दाखिल हुए सदस्य जिन्होंने 365 दिन की सदस्यता पूरी नहीं की है, लेकिन एक विशेष श्रेणी के लिए न्यूनतम आवश्यक शेयर पूंजी का योगदान किया है, उन्हें उसी श्रेणी में माना जाएगा।

- कोई भी सदस्य जो श्रेणी ए या श्रेणी बी के मानदंड को पूरा नहीं करता है, वह उचित निम्न श्रेणी में स्थानांतरित हो सकता है जिसके मानदंड वह पूरा करता है। हालांकि, वह उस वर्ष के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थिति के लिए चुनाव लड़ा नहीं सकता है।
- जो सदस्य न्यूनतम 'श्रेणी सी' मानदंड को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें अनुच्छेद 4.3 और अनुच्छेद 8 के प्रावधानों के अनुसार सदस्यता रद्द करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। हालांकि, यदि बोर्ड उन्हें सदस्यता जारी रखने की अनुमति देता है, तो ऐसे सदस्य बिना किसी श्रेणी के सदस्य माने जाएंगे।

10. कंपनी के अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि पर विचार और अनुमोदन करना ।

"साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के अनुमोदित और पारित करने पर विचार करने का प्रस्ताव है:"

"संकल्प लिया गया है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की अध्याय XXI-A के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378H, 378ZQ, 378ZR और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, और कंपनी की चौथी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को ₹50,000,000/- (पांच करोड़ रुपये) से बढ़ाकर ₹100,000,000/- (दस करोड़ रुपये) किया जाए, जिसे 5,00,000 (पाँच लाख) इक्विटी शेयर ₹100/- (एक सौ रुपये) प्रत्येक के बदले 10,00,000 (दस लाख) इक्विटी शेयर ₹100/-

(एक सौ रुपये) प्रत्येक के द्वारा किया जाएगा, इसके लिए अतिरिक्त 5,00,000 (पाँच लाख) इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे।

निर्णय लिया गया कि, कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन को इस प्रकार संशोधित किया जाए कि मौजूदा क्लॉज़ VI को निम्नलिखित नए क्लॉज़ VI द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:

“VI. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹100,000,000/- (दस करोड़ रुपये) है, जिसे 10,00,000 (दस लाख) इक्विटी शेयर ₹100/- (एक सौ रुपये) प्रत्येक के रूप में विभाजित किया गया है।”

निर्णय लिया गया कि, इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए, कंपनी के मुख्य कार्यकारी और कंपनी सचिव को सभी आवश्यक कार्यवाही को पूरा करने के लिए अधिकृत किया जाता है,

11. कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तनों पर विचार और अनुमोदन करना और यदि उचित समझा जाए, तो विशेष संकल्प के बाद संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के पारित करने के लिए।

“संकल्प लिया गया है कि कंपनियों के अधिनियम, 2013 की धारा 378-1 और धारा 14 सहित भाग XXI-A के प्रासंगिक प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी के मौजूदा लेखों में निम्नलिखित प्रकार से और निम्नलिखित सीमा तक परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त की जाती है:

1. मौजूदा अनुच्छेद 9.5 i. को निम्नलिखित के रूप में बदल दिया जाएगा: बोर्ड में प्रत्येक सदस्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली पदों की संख्या, जितना संभव हो, संबंधित वर्ग के प्रायोजन पर आधारित होगी। हालांकि, इस आवश्यकता को कंपनी की 7वीं वार्षिक सामान्य बैठक तक छूट दी जाती है।
2. मौजूदा अनुच्छेद 9.6 ii. को निम्नलिखित के रूप में बदल दिया जाएगा: वार्षिक सामान्य बैठक में भरने के लिए बोर्ड में किसी भी रिक्ति को बोर्ड द्वारा नियुक्त नामांकन समिति की सिफारिश पर आधारित होना चाहिए। हालांकि, यह प्रावधान कंपनी की 7वीं एजीएम के बाद लागू होगा और तब तक रिक्त पद को कंपनी के बोर्ड के प्रस्ताव पर भरा जाएगा।
3. मौजूदा अनुच्छेद 9.7 को निम्नलिखित के रूप में बदल दिया जाएगा: बोर्ड या अन्यथा पर रिक्त पदों को भरने के लिए, बोर्ड अतिरिक्त निदेशक या निदेशकों के रिक्त पदों को भरने के लिए सह-चयनित कर सकता है, बशर्ते कि रिक्त पद को भरने के लिए प्रस्तावित सदस्य ने पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता जारी रखने के मानदंडों को पूरा किया हो और नियुक्त अतिरिक्त निदेशक या निदेशक कंपनी की अगली वार्षिक सामान्य बैठक तक या यदि बोर्ड नियुक्ति के समय ऐसा तय करता है, तो एक छोटे समय के लिए पद धारण करेगा। हालांकि, ऐसे व्यक्ति को अगले दो वर्षों में बोर्ड में रिक्त पद को भरने के लिए सह-चयनित नहीं किया जा सकता है। अतः, ‘पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता जारी रखने के मानदंड’ की आवश्यकता 7वीं वार्षिक सामान्य बैठक के समापन से प्रभावी होगी।

आगे यह भी संकल्प लिया गया कि उपरोक्त परिवर्तनों से पहले कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किए गए सभी कार्य, कार्रवाइयां और चीजें एतद्वारा अनुमोदित की जाएंगी।

आगे संकल्प लिया कि यह संकल्प पहले की सभी व्यवस्थाओं का स्थान लेता है।

साथ ही प्रस्ताव है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्य, deeds, मुद्दे और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है।”

12. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए कंपनी के बजट पर विचार और अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने के लिए।

“संकल्प लिया गया है कि कंपनी के 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए बजट, जैसा कि वार्षिक सामान्य बैठक के सामने प्रस्तुत किया गया है, अनुमोदित किया जाता है।”

13. सेकेंडमेंट अनुबंध के अनुमोदन और सेकेंडमेंट अनुबंध से संबंधित कार्यवाही के अनुसमर्थन पर विचार करना।

विचार करने और यदि उचित समझें, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में संशोधन(s) के साथ या बिना संशोधन(s) के पारित करने का प्रस्ताव है:

“संकल्प लिया गया है कि कंपनी के ज्ञापन और लेखों के प्रावधानों के अनुसार और कंपनियों के अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अध्याय XXIA के प्रावधानों के अनुसार, और अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पढ़े गए किसी अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार (किसी भी वैधानिक संशोधन(s) या पुनः अधिनियमन(s) के साथ, जो समय-समय पर प्रभावी होते हैं), कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त की जाती है कि कंपनी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ सेकेंडमेंट व्यवस्था/समझौते में प्रवेश करने और सेकेंडमेंट व्यवस्थाओं से संबंधित सभी निष्पादित लेन-देन की पुष्टि करने के लिए और NDDB डेयरी सर्विसेज ('NDS') के साथ सेकेंडमेंट व्यवस्था के लिए लेन-देन/अनुबंध/व्यवस्था/समझौते में प्रवेश करने और/या उन्हें जारी रखने के लिए स्वीकृति प्राप्त की जाती है। संबंधित प्रस्ताव है कि कंपनी द्वारा इस व्यवस्था/समझौते को समाप्त करने के लिए सामान्य बैठक में सदस्यों की पूर्व सहमति की आवश्यकता होगी। संबंधित प्रस्ताव है कि अध्यक्ष को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

14. एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ('NDS') को दूध की आपूर्ति पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए।

साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन(s) के साथ या बिना संशोधन(s) के अनुमोदित और पारित करने पर विचार करने का प्रस्ताव है:

“संकल्प लिया गया है कि कंपनी के ज्ञापन और लेखों के प्रावधानों के अनुसार और कंपनियों के अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अध्याय XXIA के प्रावधानों के अनुसार, और अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पढ़े गए किसी अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार (किसी भी वैधानिक संशोधन(s) या पुनः अधिनियमन(s) के साथ, जो समय-समय पर प्रभावी होते हैं), कंपनी के

सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त की जाती है कि एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ 5 अप्रैल 2024 की तारीख के सप्लाई एग्रीमेंट की स्वीकृति दी जाती है, जो दूध की आपूर्ति के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ('NDS') के साथ लेन-देन/अनुबंध/व्यवस्था/समझौते को शामिल करता है, जिसमें किसी भी संशोधन, परिवर्तन और विस्तार को शामिल किया गया है; संबंधित प्रस्ताव है कि कंपनी के अध्यक्ष को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्य और deeds करने के लिए अधिकृत किया जाता है।”

नोटिस

1. एक सदस्य जो वार्षिक सामान्य बैठक (AGM) में भाग लेने और मतदान करने का हकदार है, वह एक प्रॉक्सी (प्रतिनिधि) नियुक्त कर सकता है जो उसकी ओर से हाथ उठाकर और मतदान कर सके। प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना चाहिए; गैर-सदस्य को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। प्रॉक्सी नियुक्ति का प्रपत्र प्रभावी होने के लिए बैठक के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए, जिसे ठीक से भरा, मोहरित और साइन किया गया हो। एक खाली प्रॉक्सी फॉर्म साथ में संलग्न है।
2. प्रत्येक सदस्य को केवल एक ही वोट मिलेगा (हाथ उठाकर और मतदान पर) चाहे उसकी शेयरधारिता या प्रायोजन कितना भी हो।
3. इस नोटिस के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं: i. निदेशक के पद के लिए उम्मीदवारों के नाम और प्रत्येक उम्मीदवार की योग्यता का विवरण; ii. 16 सितंबर 2023 को हुई पिछली आम सभा की बैठक की मिनट्स; iii. 31 मार्च 2024 तक की ऑडिट की गई बैलेंस शीट और 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता, साथ ही निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्टें; iv. FY-2024-2025 का बजट भी संलग्न है।
4. जिन सदस्यों को कंपनी के खातों या संचालन के बारे में जानकारी चाहिए या कोई सवाल है, वे कृपया बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी सचिव को पंजीकृत कार्यालय में भेजें।
5. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने सभी पत्राचार में अपने फोलियो नंबर और सदस्य कोड का उल्लेख करें।
6. नोटिस के साथ संलग्न स्पष्टीकरण पत्र में आइटम नंबर 6, 7, 8, 9, 11 और 12 के संबंध में सभी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं।
7. नोटिस और स्पष्टीकरण पत्र में उल्लेखित प्रासंगिक दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्यदिवसों पर सामान्य व्यापार घंटे (11:00 बजे से 16:00 बजे के बीच) के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।
8. बोर्ड द्वारा अनुशंसित लिमिटेड रिटर्न (डिविडेंड) यदि बैठक में घोषित किया जाता है, तो यह उन शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम 31 मार्च 2024 को कंपनी के सदस्य रजिस्टर में दर्ज हैं।
9. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते, पिन कोड और मोबाइल नंबर में किसी भी बदलाव की तुरंत सूचना कंपनी को दें।
10. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205A/ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार, अगर डिविडेंड सात साल से अधिक समय तक नहीं नकद या दावा किया जाता है, तो इसे निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष (IEPF) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। IEPF को स्थानांतरित राशि के लिए कोई दावा कंपनी या IEPF के खिलाफ नहीं किया जा सकेगा।
11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे आम सभा स्थल पर अपनी कंपनी द्वारा जारी की गई आईडी कार्ड लाएं ताकि उनकी पहचान हो सके।
12. आम सभा स्थल पर हथियार, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, चाकू और ब्लेड, और तेज उपकरण लाने की अनुमति नहीं है।

उम्मीदवारों की योग्यता का विवरण निदेशक के रूप में चुने जाने के संबंध में (धारा 378ZA (4) (c) के तहत) कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार:

नाम	कार्य	योग्यता
श्रीमती गीता वर्मा	पशुपालन	स्नातक
श्रीमती मंजू देवी.	पशुपालन	12 वीं
श्रीमती पूनम देवी.	पशुपालन	12 वीं
श्रीमती रीना देवी.	पशुपालन	स्नातक

व्याख्यात्मक विवरण

आइटम नं. 5

नॉमिनेटिंग कमेटी ने बोर्ड के लिए निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के आधार पर, बोर्ड ने श्रीमती गीता वर्मा (DIN: 10743665) की नियुक्ति निदेशक के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है। बोर्ड का मानना है कि श्रीमती गीता वर्मा की नियुक्ति कंपनी के लिए लाभकारी होगी। इसलिए, बोर्ड आइटम नं. 5 में दिये गए प्रस्ताव की मंजूरी के लिए सदस्यों से अनुग्रह करता है। कंपनी के निदेशकों/मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी इस प्रस्ताव में किसी प्रकार की रुचि नहीं रखता है, केवल श्रीमती गीता वर्मा (DIN: 10743665) स्वयं ही इस प्रस्ताव से संबंधित हैं। बोर्ड इस प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में अपनाने की सिफारिश करता है।

आइटम नं. 6

नॉमिनेटिंग कमेटी ने बोर्ड के लिए निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा है। इस सिफारिश के आधार पर, बोर्ड ने श्रीमती मंजू देवी (DIN: 10743357) की नियुक्ति निदेशक के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है। बोर्ड का मानना है कि श्रीमती गीता वर्मा की नियुक्ति कंपनी के लिए लाभकारी होगी। इसलिए, बोर्ड आइटम नं. 6 में दिये गए प्रस्ताव की मंजूरी के लिए सदस्यों से अनुग्रह करता है। कंपनी के निदेशकों/मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी इस प्रस्ताव में किसी प्रकार की रुचि नहीं रखता है, केवल श्रीमती मंजू देवी (DIN: 10743357) स्वयं ही इस प्रस्ताव से संबंधित हैं। बोर्ड इस प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में अपनाने की सिफारिश करता है।

आइटम नं. 7

नॉमिनेटिंग कमेटी ने बोर्ड के लिए निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा है। इस सिफारिश के आधार पर, बोर्ड ने श्रीमती पूनम देवी (DIN: 10743330) की नियुक्ति निदेशक के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है। बोर्ड का मानना है कि श्रीमती गीता वर्मा की नियुक्ति कंपनी के लिए लाभकारी होगी। इसलिए, बोर्ड आइटम नं. 7 में दिये गए प्रस्ताव की मंजूरी के लिए सदस्यों से अनुग्रह करता है। कंपनी के निदेशकों/मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी इस प्रस्ताव में किसी

प्रकार की रुचि नहीं रखता है, केवल श्रीमती पूनम देवी (DIN: 10743330) स्वयं ही इस प्रस्ताव से संबंधित हैं। बोर्ड इस प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में अपनाने की सिफारिश करता है।

आइटम नं. 8

नॉमिनेटिंग कमेटी ने बोर्ड के लिए निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा है। इस सिफारिश के आधार पर, बोर्ड ने श्रीमती रीना देवी (DIN: 10743346) की नियुक्ति निदेशक के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है। बोर्ड का मानना है कि श्रीमती गीता वर्मा की नियुक्ति कंपनी के लिए लाभकारी होगी। इसलिए, बोर्ड आइटम नं. 8 में दिये गए प्रस्ताव की मंजूरी के लिए सदस्यों से अनुग्रह करता है। कंपनी के निदेशकों/मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी इस प्रस्ताव में किसी प्रकार की रुचि नहीं रखता है, केवल श्रीमती रीना देवी (DIN: 10743346) स्वयं ही इस प्रस्ताव से संबंधित हैं। बोर्ड इस प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में अपनाने की सिफारिश करता है।

आइटम नं. 10

वर्तमान में, कंपनी की अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपये है, जबकि जारी, सदस्यता, और चुकता पूंजी रुपये 37563800/- है। व्यवसाय विस्तार के कारण, कंपनी को अपनी चुकता पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता है, जो अधिकृत सीमा के निकट है। बोर्ड ने अपनी 25वीं बैठक, 6 अगस्त 2024 को पूंजी खंड के संशोधन की स्वीकृति दी है। कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 378 I के अनुसार, कंपनी के लेखों को संशोधित करने के लिए सदस्य की स्वीकृति आवश्यक है। इसलिए, प्रस्तावित संशोधन का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा किया गया है।

कंपनी के निदेशकों/अधिकारियों या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी इस प्रस्ताव में किसी प्रकार की रुचि नहीं रखता है।

आइटम नं. 11

21 नवंबर 2021 को बोर्ड की पहली बैठक में, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएयसन के खंड 9 (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) के अनुसार, निदेशक बनने के लिए सदस्यों को कुछ योग्यताएँ पूरी करनी होती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी क्षेत्रों का अच्छा प्रतिनिधित्व हो, यह अपेक्षित है कि सभी 700 गांवों के सदस्य बोर्ड में प्रतिनिधित्व प्राप्त करें। इस वर्ष के दौरान 300 और गांवों का विस्तार होगा, जिससे सदस्यता 1000 गांवों तक फैलेगी। इसलिए, नई 300 गांवों के सदस्यों को बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने के लिए एक उपयुक्त समय में अवसर प्रदान किया जाएगा। लेकिन लेखों के अनुसार, निदेशक बनने के लिए सदस्य को वर्ग आधारित योग्यता पूरी करनी होगी। नई 300 गांवों के सदस्य अगले तीन वर्षों के लिए यह योग्यता पूरी करना मुश्किल होगा। इसलिए, प्रस्तावित है कि वर्ग आधारित प्रतिनिधित्व को बोर्ड में समय बढ़ाकर संशोधित किया जाए।

कंपनी के लेखों में संशोधन के लिए सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है, जैसा कि प्रस्तावित है।

बोर्ड ने 6 अगस्त 2024 को अपनी 25वीं बैठक में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दी है। साथ ही इस प्रस्ताव के लिए सदस्यों से विशेष प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक है

आइटम नं. 13

कंपनी को शुरुआत से ही सेवाओं के संपूर्ण दायरे को कवर करते हुए एनडीएस द्वारा सहायता प्रदान की जा रही थी, जिसका उद्देश्य डेयरी के क्षेत्रों में उत्पादक स्वामित्व वाले संस्थानों को बढ़ावा देना है। एनडीएस ने कंपनी के निदेशकों को प्रशासन, संस्थान निर्माण, वित्तीय और परिचालन मामलों पर शिक्षित करने में कंपनी की मदद की। भारत में डेयरी उद्योग में तेजी से बदलते वाणिज्यिक और आर्थिक परिदृश्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए, कंपनी को एक मुख्य कार्यकारी की आवश्यकता होती है, जिसके पास कंपनी की वृद्धि और विकास के विभिन्न चरणों को संभालने में विशेषज्ञता हो। किसानों के स्वामित्व वाले ग्रामीण स्टार्ट-अप के लिए मुख्य कार्यकारी के रूप में काम करने के इच्छुक प्रतिभाशाली उम्मीदवारों का चयन करने के लिए, कंपनी ने एनडीएस के साथ एक अनुबंध किया है, जिसके तहत एनडीएस कंपनी के मुख्य कार्यकारी के रूप में बोर्ड द्वारा उसकी नियुक्ति के लिए एनडीएस के एक कर्मचारी को दूसरे स्थान पर भेजेगा। इससे कंपनी के मामलों के प्रबंधन के लिए मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति में स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित होगी। बोर्ड ने 11 मई 2024 को आयोजित अपनी 22वीं बैठक में एनडीएस के साथ सेकेंडमेंट व्यवस्था में प्रवेश करने की मंजूरी दे दी है और अध्यक्ष को सेकेंडमेंट व्यवस्था निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

एनडीएस के साथ सेकेंडमेंट समझौते की प्रमुख शर्तों में से एक यह है कि इस व्यवस्था को कंपनी की अगली आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी भी मिलनी होगी। समझौते की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

शामिल पार्टियाँ: एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, नई दिल्ली, भारत में पंजीकृत एक गैर-लाभकारी कंपनी और काशी एमपीसीएल।

समझौता निष्पादन की तारीख से प्रभावी हो जाता है और इस सामान्य बैठक में कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के अधीन होता है।

कंपनी का मुख्य कार्यकारी के काम पर पूरा नियंत्रण और पर्यवेक्षण होगा और मुख्य कार्यकारी कंपनी के मुख्य कार्यकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी के कार्य नियमों और नीतियों का पालन करेगा।

एनडीएस द्वारा प्रदान की गई मुख्य कार्यकारी की सेवाओं पर विचार करते हुए कंपनी एनडीएस को सभी कर्मचारी-संबंधित खर्चों और एनडीएस द्वारा सीई को भुगतान किए गए वेतन को कवर करने के लिए फीस का भुगतान करेगी।

कोई भी पक्ष लिखित सूचना देकर इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

हालाँकि, यदि एमपीसी अनुबंध को समाप्त करना चाहती है तो उसे आम बैठक में कंपनी के सदस्यों की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी।

कंपनी सेकेंडमेंट के दौरान मुख्य कार्यकारी द्वारा किए गए कार्यो कार्यो से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या नुकसान के खिलाफ एनडीएस की क्षतिपूर्ति करेगी।

ड्राफ्ट/निष्पादित समझौते की एक प्रति आम बैठक की तारीख तक निरीक्षण के लिए काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, दूसरी मंजिल एस-2/1-77, टैगोर टाउन एक्सटेंशन, पंचकोशी रोड, वाराणसी - 221002 पर उपलब्ध है।

आइटम नं. 14

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') को कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXI-ए के तहत 11/11/2021 को एक उत्पादक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है।

कंपनी के उद्देश्य में मुख्य रूप से सदस्यों और अन्य लोगों के दूध और दूध उत्पादों की पूर्ति, खरीद, प्रसंस्करण, उसका विपणन और उन गतिविधियों से निपटना शामिल है जो उससे संबंधित किसी भी गतिविधि का हिस्सा हैं या उससे संबंधित हैं।

कंपनी के परिचालन के बाद से, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, कंपनी को तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। मदर डेयरी के साथ दूध आपूर्ति समझौता 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो गया।

अप्रैल 2024 से कंपनी ने दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ एक समझौता किया है।

समझौते की मुख्य विशेषताएं हैं:-

- लाभकारी उत्पादक मूल्य।
- गुणवत्ता और संस्थागत मापदंडों के अनुपालन के लिए प्रोत्साहन।
- समय पर भुगतान।
- अनुमानित मात्रा खरीदने की प्रतिबद्धता।
- लगभग पूरे वर्ष बाज़ार तक पहुंच।
- परस्पर सहमत ओवरहेड्स और मार्जिन।

निदेशक मंडल की मंजूरी से कंपनी ने दूध की आपूर्ति के लिए एनडीएस के साथ 5 अप्रैल 2024 को एक समझौता किया है। कंपनी ने दिनांक 07 अप्रैल 2024 से दैनिक आधार पर एनडीएस को दूध की आपूर्ति शुरू कर दी है।

"सदस्यों की मंजूरी आइटम संख्या 14 में निर्धारित साधारण संकल्प के रूप में मांगी जाती है।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड					
बजट 2024-2025					
राजस्व बजट					
क्रम संख्या	विवरण	इकाई	बजट वित्तीय वर्ष 2023-2024	द्रष्टिकोण वित्तीय वर्ष 2023-2024	प्रस्तावित बजट वित्तीय वर्ष 24-25
(I)	दूध खरीद मात्रा	(किलोग्राम प्रतिदिन)	82,709	93,298	176,416
(II)	दूध परिचालन से राजस्व	लाख रुपये में	17,434.36	16,520.30	37,374.69
(III)	उत्पादक को भुगतान	लाख रुपये में	16,013.41	14,964.58	32,209.00
(IV)	सहायक मार्जिन	लाख रुपये में	367.48	169.56	676.14
(V)	सहायक भुगतान	लाख रुपये में	179.42	-	-
(VI)	लाजिस्टिक कॉस्ट	लाख रुपये में	679.96	1,452.70	2,661.63
(VII)	अन्य दूध खरीद लागत	लाख रुपये में	692.24	584.48	900.80
(VIII)	निश्चित लागत	लाख रुपये में	816.97	365.42	915.83
(IX)	अनुदान सहायता से पहले दूध संचालन से लाभ / (हानि)	लाख रुपये में	(1,315.12)	(1,016.45)	11.30
(X)	अनुदान सहायता - दूध परिचालन	लाख रुपये में	1,436.29	1,432.47	464.13
(XI)	अन्य आय	लाख रुपये में	20.66	60.61	39.82
(XII)	अनुदान सहायता के बाद दूध संचालन से लाभ / (हानि)	लाख रुपये में	141.84	476.63	515.25

कैपेक्स बजट					
	विवरण	इकाई	बजट वित्तीय वर्ष 2023-2024	द्रष्टिकोण वित्तीय वर्ष 2023-2024	प्रस्तावित बजट वित्तीय वर्ष 24-25
	दूध संचालन		787.73	-	701.41
(I)	एमपीपी सेट अप	लाख रुपये में	494.98		492.00
(II)	बीएमसी सेट अप	लाख रुपये में	22.40		0.00
(III)	एमसीसी सेट अप	लाख रुपये में	7.68		30.47
(IV)	क्लस्टर ऑफिस सेट अप	लाख रुपये में	16.85		10.00
(V)	हैड ऑफिस सेट अप	लाख रुपये में	46.63		0.00
(VI)	आईसीटी	लाख रुपये में	79.19		48.94
(VII)	बिक्री और विपणन अवसंरचना	लाख रुपये में	120.00		120.00
B	पीईएस ओपरसेन		56.37	-	11.46
(I)	3 लीटर क्रायो कंटेनर	लाख रुपये में	5.00		3.54
(II)	35 लीटर क्रायो कंटेनर	लाख रुपये में	11.01		7.92
(III)	55 लीटर परिवहन क्रायो कंटेनर	लाख रुपये में	5.30		0.00
(IV)	तरल नाइट्रोजन साइलो	लाख रुपये में	30.00		0.00
(V)	बड़ा वीर्य भण्डारण पात्र	लाख रुपये में	2.82		0.00
(VI)	छोटा वीर्य भण्डारण कंटेनर	लाख रुपये में	2.24		0.00
I	कुल पूंजीगत व्यय	लाख रुपये में	844.10	-	712.86
II	कुल पूंजीगत व्यय अनुदान	लाख रुपये में	844.10	-	654.46
II	कुल पूंजीगत व्यय गैर अनुदान	लाख रुपये में	-	-	58.41

तीसरी वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की तीसरी वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त शनिवार, 16 सितंबर 2023 को होटल "द पर्ल", पंचकोशी रोड, रामसिंहपुर, हरहुआ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, -21105, दोपहर 12:00 बजे आयोजित किया गया।

उपस्थित:

निदेशक मंडल	
1 श्रीमती सरिता देवी	अध्यक्ष एवं शेयर धारक
2 श्रीमती ममता सिंह	निदेशक एवं शेयर धारक
3 श्रीमती आराधना	निदेशक एवं शेयर धारक
4 श्रीमती संगीता देवी	निदेशक एवं शेयर धारक
5 श्रीमती ममता सिंह	निदेशक एवं शेयर धारक
6 श्रीमती श्यामलता सिंह	निदेशक एवं शेयर धारक
7 श्रीमती मंशा कुमारी	निदेशक एवं शेयरधारक
8 श्रीमती अंजना सिंह	निदेशक एवं शेयर धारक
9 डॉ. संजय कुमार गोवानी	विशेषज्ञ निदेशक
10 डॉ. मनवीर सिंह	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

कंपनी सचिव:

श्रीमती प्रियंका सत्यवाली

अध्यक्ष:

बैठक की अध्यक्ष श्रीमती सरिता देवी ने कंपनी की तीसरी एजीएम में कंपनी के सदस्यों और निदेशक मंडल का स्वागत किया। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि व्यक्तिगत एवं अपरिहार्य कारणों से बैठक में कंपनी की निदेशक श्रीमती बबीता और विशेषज्ञ निदेशक डॉ. सीपी देवानंद शामिल नहीं हो सके।

कोरम की पुष्टि:

इसके बाद चेरमैन ने कंपनी सचिव से सदस्यों की उपस्थिति की पुष्टि करने को कहा। कंपनी सचिव ने सूचित किया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378Y कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 11.6 के साथ पढ़ी गई, कंपनी के कुल सदस्यों में से एक चौथाई की उपस्थिति बैठक के लिए कोरम होगी।

उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

व्यक्तिगत रूप से: 2915 इक्विटी शेयर रखने वाले 57 सदस्य

प्रॉक्सी में: 9247 शेयरधारकों के पास 69220 इक्विटी शेयर हैं

कुल मिलाकर, 9304 सदस्य यानी, कुल सदस्यों में से 61.38% व्यक्तिगत रूप से और प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित थे। चूंकि अपेक्षित कोरम मौजूद था, कंपनी सचिव ने अध्यक्ष से बैठक की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। कंपनी सचिव से यह सुनिश्चित करने के बाद चेरमैन ने घोषणा की कि कोरम पूरा हो गया है।

कंपनी सचिव ने कहा कि प्रॉक्सी का रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर, निदेशकों की शेयर धारिता का रजिस्टर, वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और अन्य वैधानिक रजिस्टर उपलब्ध थे और निरीक्षण के लिए खुले थे। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी की ऑडिटर रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी और इसलिए ऑडिटर रिपोर्ट को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मत सहमति से, तीसरी वार्षिक आम बैठक बुलाने का नोटिस पहले ही सदस्यों को प्रसारित कर दिया गया था, जिसे पढ़ा हुआ माना गया।

इसके बाद, अध्यक्ष की सलाह पर, कंपनी सचिव श्रीमती प्रियंका सत्यवाली ने बैठक के एजेंडे की मदों को उठाया:

बैठक में निम्नलिखित कार्य किये गये:

1. 31 मार्च 2023 की लेखापरीक्षित तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ – हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण तथा निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उस पर विचार करना और अपनाना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना।

1.1 श्रीमती प्रियंका सत्यवाली, कंपनी सचिव ने खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पढ़ी।

1.2 इसके बाद, सदस्यों ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के खातों पर विचार-विमर्श किया।

श्रीमती उर्मिला देवी (फोलियो नं.: 0000305) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया :

संकल्प संख्या तीसरी एजीएम: 16.09.2023:1 / 2023-24

"संकल्प लिया गया है कि 31 मार्च 2023 को ऑडिट की गई बैलेंस शीट, उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, अनुसूचियों और नोट्स के साथ उसका एक हिस्सा और निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, और इसके द्वारा अनुमोदित और अपनाया गया है।"

श्रीमती विद्या देवी (फोलियो नं.: 0000995) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

सभापति ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और उसकी घोषणा करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में अपनाना:

श्रीमती आरती सिंह (फोलियो नंबर: 0000019) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या तीसरी एजीएम: 16.09.2023:02 / 2023-2024

“यह तय किया गया है कि 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के मौजूदा मुनाफे में से 8 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश), 100 रुपये के 71,428 इक्विटी शेयरों पर, पूरी तरह से भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष के लिए रुपये 5,71,424/- 2022-2023 को एतद्वारा अनुमोदित और पुष्टि की जाती है, और इसका भुगतान उन इक्विटी शेयरधारकों को किया जाएगा।

श्रीमती नव्या सिंह (फोलियो नंबर: 0000073) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

सभापति ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

3. श्रीमती बबीता (DIN:09395185), के स्थान पर निदेशक पर विचार करना और नियुक्ति करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प को अपनाएं

श्रीमती किरण देवी (फोलियो नंबर: 0001288) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या तीसरी एजीएम: 16.09.2023:3 / 2023-24

“यह संकल्प लिया गया है कि अनुच्छेद संख्या 9.6 के संदर्भ में और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 378 ZA और अनुच्छेदों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार एसोसिएशन और कंपनी अधिनियम, 2013 (उस समय के लिए किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ) निदेशक श्रीमती बबीता (DIN:09395185), जो आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं। उनके स्थान पर श्रीमती प्रतिमा देवी (DIN: 10290499) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

श्रीमती सुषमा देवी (फोलियो नं.: 0001637) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

सभापति ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

4. श्रीमती आराधना (डीआईएन: 09395183) की सेवानिवृत्ति पर विचार करना जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करें।

श्रीमती पूजा तिवारी (फोलियो नंबर: 0000369) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या तीसरी एजीएम: 16.09.2023: 4 / 2023-24

“अनुच्छेद संख्या 9.6 की शर्तों और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 378 ZA के अनुसरण में और एसोसिएशन और कंपनी अधिनियम, 2013 के लेखों के अन्य लागू प्रावधानों (फिलहाल किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन के साथ) का समाधान किया गया। आराधना (डीआईएन:09395183) निदेशक, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है और इसके द्वारा उसे दोबारा नियुक्त नहीं किया जाता है और परिणामी रिक्ति को नहीं भरा जाता है।

श्रीमती बबीता देवी (फोलियो नंबर: 0000528) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

सभापति ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

5. श्रीमती श्यामलता सिंह (DIN: 10180147) का कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना।

श्रीमती सीमा देवी (फोलियो नंबर: 0001604) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या तीसरी एजीएम: 16.09.2023: 5 / 2023-24

“यह संकल्प लिया कि श्रीमती श्यामलता सिंह (DIN: 10180147) जिन्हें दिनांक 28 मई 2023 को कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर रहेगी, उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

आगे संकल्प लिया गया कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, उचित और समीचीन सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है।

श्रीमती श्रद्धांजलि देवी (फोलियो नंबर: 0001709) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

सभापति ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित कर दिया।

6. श्रीमती मंशा कुमारी (DIN: 10180237) का कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना ।

श्रीमती अनीशा गुप्ता (फोलियो नंबर: 0000449) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या तीसरी एजीएम: 16.09.2023: 6/2023-24

“यह संकल्प लिया कि श्रीमती मंशा कुमारी (DIN: 10180237) जिन्हें दिनांक 28 मई 2023 को कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर रहेगी, उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

आगे संकल्प लिया गया कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, उचित और समीचीन सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है।

श्रीमती जिज्ञासा देवी (फोलियो नं.: 0000709) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

सभापति ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित कर दिया।

7. श्रीमती ममता देवी (DIN: 10180142) का कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना ।

श्रीमती उर्मिला देवी (फोलियो नं.: 0001480) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या तीसरी एजीएम: 16.09.2023: 7/2023-24

“यह संकल्प लिया कि श्रीमती ममता देवी (DIN: 10180142) जिन्हें दिनांक 28 मई 2023 को कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर रहेगी, उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

आगे संकल्प लिया गया कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, उचित और समीचीन सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है।

श्रीमती रंजना सिंह (फोलियो नंबर: 0001557) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

सभापति ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित कर दिया।

8. श्रीमती अंजना सिंह (DIN: 10190931) का कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना ।

श्रीमती सविता (फोलियो नं.: 0000270) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या तीसरी एजीएम: 16.09.2023: 8/2023-24

“यह संकल्प लिया कि श्रीमती अंजना सिंह (DIN: 10190931) जिन्हें दिनांक 28 मई 2023 को कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर रहेगी, उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

आगे संकल्प लिया गया कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, उचित और समीचीन सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है।

श्रीमती मीना देवी (फोलियो नं.: 0000497) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

सभापति ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित कर दिया।

9. वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना और अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में पारित करना।

श्रीमती अमिता सिंह (फोलियो नंबर: 0001568) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या तीसरी एजीएम: 16.09.2023: 9/2023-24

“यह संकल्प लिया गया है कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक से पहले रखा गया था, को मंजूरी दे दी गई है।”

श्रीमती शैल कुमारी (फोलियो नं.: 0001649) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

सभापति ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित कर दिया।

10. कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बदलावों पर विचार करना और उन्हें मंजूरी देना और यदि उचित समझा जाए तो विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्ताव का पालन करते हुए संशाधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना।

श्रीमती इंदु सिंह (फोलियो नंबर: 0000175) ने विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या तीसरी एजीएम: 16.09.2023: 10/2023-24

संकल्प लिया गया है कि विशेष धारा में कंपनी अधिनियम के भाग XXI-ए के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार। 378-1 और धारा 14 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधान, जिसमें उसके तहत बनाए गए नियम शामिल हैं, कंपनी के मौजूदा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति होगी और इसके द्वारा एसोसिएशन के आर्टिकल में बदलाव के लिए सहमति दी जाएगी। कंपनी ने निम्नलिखित तरीके से काफी हद तक बदलाव किया:

(1) मौजूदा अनुच्छेद 4.1 को बदला/संशोधित किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

4.1 कंपनी के सदस्य के रूप में व्यक्तिगत महिला निर्माता हो सकती हैं।

आगे यह भी संकल्प लिया गया कि उपरोक्त परिवर्तनों से पहले कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किए गए सभी कार्य, कारवाइयां और चीजें एतद्वारा अनुमोदित की जाएंगी।

आगे संकल्प लिया कि यह पहले की सभी व्यवस्थाओं का स्थान लेता है।

यह भी संकल्प लिया गया है कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को वे सभी कार्य, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया गया है जो इस संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

श्रीमती रीता देवी (फोलियो नं.: 0000125) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

सभापति ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित कर दिया।

11. बैठक में ओर कोई एजेंडा न होने के कारण, अध्यक्ष महोदया ने धन्यवाद संकल्प के साथ बैठक संपन्न की।

धन्यवाद प्रस्ताव:

कोई अन्य कार्य न होने के कारण बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त की गई।

बैठक शुरू होने का समय: दोपहर 12.00 बजे

बैठक के समापन का समय: दोपहर 1.15 बजे

बैठक का कार्यवृत्त दर्ज किया गया।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01409UP2021PTC155262
पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल, एस-2/1-77, टैगोर टाउन एक्सटेंशन, पंचकोशी रोड, वाराणसी -
221002
ईमेल: info@kasheemilk.com फ़ोन: [0542-4085526](tel:0542-4085526)

प्राप्ति रसीद

फोलियो संख्या

--	--	--	--	--	--	--	--

मैं.निवासी.....काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्या हूँ | मैंने कंपनी द्वारा भेजी गयी चौथी वार्षिक आम सभा का नोटिस सभी अनुलग्नको सहित प्राप्त कर लिया है |

सदस्या के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

दिनांक.....

स्थान.....

प्रतिनिधि फॉर्म (एमजीटी-11)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

सीआईएन: U01409UP2021PTC155262

कंपनी का नाम: काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

**पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल, एस-2/1-77, टैगोर टाउन एक्सटेंशन,
पंचकोशी रोड, वाराणसी - 221002**

सदस्य का नाम	:		शेयरों की संख्या	:	
पंजीकृत पता	:		फोलियो संख्या	:	
ईमेल	:		सदस्य कोड	:	

मैं/हम काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्य होने के नाते एतद्वारा:

क्र.सं.	नाम:	पता	ईमेल:	फोलियो संख्या
1				
2				

को 18 सितंबर 2024 (बुधवार) को दोपहर 12:00 बजे, होटल द पिन्नेकल इन, हवेलिया चौराहा, सारनाथ, एसए-15/129 ई, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221007 में होने वाली चौथी वार्षिक आम सभा में मेरी ओर से एक प्रतिनिधि नियुक्त करती हूँ। किसी भी स्थगन की स्थिति में प्रतिनिधि को निम्नलिखित संकल्पों से संबंधित मामलों को संभालने का अधिकार होगा।"

क्र.सं.	संकल्प	के समर्थन में	के विरुद्ध
1.	31 मार्च 2024 तक की लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण को अनुसूचियों ओर नोट्स के साथ प्राप्त करना और अपनाना तथा उस पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट अपनाना और इस संबंध में सामान्य संकल्प को पारित करना।		
2.	कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोसणा करना तथा इस संबंध में सामान्य संकल्प को पारित करना।		
3.	श्रीमती ममता सिंह (DIN:09395184) जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना		
4.	श्रीमती संगीता देवी (DIN 09687721), की सेवानिवृत्ति पर, जो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं, निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव को अपनाने का प्रस्ताव है:		
5.	श्रीमती गीता वर्मा (DIN: 10743665) की निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार करना ।		
6.	श्रीमती मंजू देवी (DIN: 10743357) की निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार करना ।		
7.	श्रीमती पूनम देवी (DIN: 1074333) की निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार करना ।		
8.	श्रीमती रीना देवी (DIN: 10743346) की निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार करना ।		
9.	विभिन्न वर्गों में सदस्यों को संरक्षकता के आधार पर वर्गीकृत करने के मानदंडों पर विचार और अनुमोदन करने के लिए ।		
10.	कंपनी के अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि पर विचार और अनुमोदन करना ।		
11.	कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तनों पर विचार और अनुमोदन करना और यदि उचित समझा जाए, तो विशेष संकल्प के बाद संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के पारित करने के लिए।		
12.	वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए कंपनी के बजट पर विचार और अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने के लिए।		
13.	सेकेंडमेंट अनुबंध के अनुमोदन और सेकेंडमेंट अनुबंध से संबंधित कार्यवाही के अनुसमर्थन पर विचार करना।		
14.	एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ('NDS') को दूध की आपूर्ति पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए।		

हस्ताक्षर तिथि:

सदस्य के हस्ताक्षर:

प्रॉक्सि होल्डर के हस्ताक्षर:

रूपये एक का रेवेन्यु टिकट लगाये

नोट: ध्यान रहे की प्रतिनिधि फॉर्म ऊपर वर्णित आम सभा से 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर पहुंचना आवश्यक है तथा प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य है ।

आम सभा की बैठक का मैप

